हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 अगस्त, 1988

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 24 अगस्त, 1988

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)1
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)26
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(3)30

ध्यानकर्शण प्रस्तावः–	
हरियाणा राज्य में उग्रवादियों की गतिविधियों से लोगों में आंतक होने संबंधी	(3)31
वक्तव्य– (i) मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्शण प्रस्ताव संबंधी (ii) राजस्व मंत्री द्वारा हरियाणा में वर्शा तथा बाढ़ से फसल तथा सम्पति को क्षति होने संबंधी	(3)32
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(3)41
सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र	(3)42
बिल्ज–	
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 3) बिल, 1988	(3)42
दि हरियाणा गुड कन्डक्ट प्रिजनर्ज (टैम्पोरेरी रिलीज) बिल, 1988	(3)44
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिड अमैडमैट) बिल, 1988	(3)53

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 24 अगस्त, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रांतः 9–30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बरसाहेबान, अब सवाल होगे।

तारांकित प्र न संख्या 576

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री प्रदीप कुमार चौधरी इस समय सदन में उपस्थित नही थे।

तारांकित प्र न संख्या 582

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र कुमार मदान, इस समय सदन में उपस्थित नही थे।

तारांकित प्र न संख्या 594

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री रघु यादन इस समय सदन में उपस्थित नही थे।

Corruption charge against the Employees of Transport Department

***599 Sh. Ranjit Singh**: Will the Minister of state for Transport be pleased to state the names of employees from class-1 to class-IV of Transport department against whom the corruption charges were leveled during the last tow years i.e. up to 30-06-1988; if so, the District wise and depot wise number of these cases decided/pending for finalization?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मवरी सिंह): हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रति दिन लगभग 9.50 लाख किलोमीअर दूरी तय करती है जिनमें लगभग 12 यात्री सफर करते है। बेड़े की संख्या 3188 है। परिवहनपरिचालन के दौरान जो केसिज कम मूल्य का टिकट देने के या पुनः जारी करने के या बिना टिकट यात्रा करने के पकड़ में आते है, उसमें दोशी परिचालाकें के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती हैं पिछले देा वर्शो में (30.6.88 तक) ऐसे कर्मचारियों की डिपो अनुसार व जिला अनुसार विवरण एकत्रित करने के लिए और अधिक समय की आव यकता है। जो यात्री जानबूझ कर टिकट बिना लिए यात्रा करते है, उन्हे जुर्माने से दंडित किया जाता हैं परिवहन परिचालन के स्टाफ के अतिरिक्त क्लास–1 से क्लास–IV के कर्मचारी जिनके विरूद्ध भ्रश्टाचार के आरोप पिछले दो वर्शो में 30.06.1988 तक लगाए गए है वे जिनके केसों के निर्णय हो चुके है या लम्बित पड़े है, उनकी जिलावार व डिपोवारसूची सदन के पटल पररखी जाती है।

सूची

क्रम	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	जिला	डिपो	केस की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बिजेन्द्र सिंह	III	भिवानी	भिवानी	लम्बित
2	श्री सुरेन्द्र सिंह	III	रोहतक	रोहतक	–सम–
3	श्री कंवर सिंह	III	रोहतक	रोहतक	–सम–
4	श्री मं ाी राम	III	रोहतक	रोहतक	–सम–
5	श्री पवन कुमार	III	रोहतक	रोहतक	–सम–
6	श्री राम कुमार	III	रोहतक	मुख्यालय	–सम–
7	श्री सुद र्शन	III	रोहतक	मुख्यालय	–सम–
8	श्री चन्द्रभान	IV	रोहतक	मुख्यालय	निर्णय हो चुका है।
9	श्री सुरेन्द्र सिंह	IV	रोहतक	मुख्यालय	–सम–
10	श्री सत नारायण	III	करनाल	करनाल	–सम–
11	श्री हेम राज	III	करनाल	करनाल	–सम–
12	श्री मदन लाल	III	करनाल	करनाल	6 केसों में से एक का

					निर्णय हो चुका है।
13	श्री सुनेहरा राम	III	करनाल	करनाल	लम्बित
14	श्री मोहन लाल	III	करनाल	करनाल	–सम–
15	श्री सत नारायण	III	करनाल	करनाल	–सम–
16	श्री मखन लाल	III	गुडगांव	गुडगांव	–सम–
17	श्री कृश्ण लाल	III	गुडगांव	मुख्यालय	–सम–
18	श्री जसवीर सिंह	III	गुडगांव	मुख्यालय	–सम–
19	श्री बलदेव सिंह	III	सोनीपत	मुख्यालय	–सम–
20	श्री होि ायार सिंह	III	सोनीपत	मुख्यालय	–सम–
21	श्री राम निवास	III	सोनीपत	मुख्यालय	–सम–
22	श्री ओम प्रका ा आर्य	III	सोनीपत	मुख्यालय	–सम–
23	श्री बलबरी सिंह	IV	सोनीपत	मुख्यालय	निर्णय हो चुका है
24	श्री रत्न लाल	III	सोनीपत	मुख्यालय	लम्बित

25	श्री साधु राम	III	अम्बाला	मुख्यालय	–सम–
26	श्री गुरू प्रसाद	III	अम्बाल	मुख्यालय	–सम–
27	श्री कंबलजीत सिंह	III	अम्बाल	मुख्यालय	–सम–
28	श्री प्रेम कुमार	IV	हिसार	हिसार	–सम–
29	श्री मेवा सिंह	IV	हिसार	हिसार	–सम–
30	श्री राम सिंह	IV	हिसार	हिसार	–सम–
31	श्री मन् ाुरा	IV	हिसार	हिसार	लम्बित
32	श्री ऋशि कुमार	III	हिसार	हिसार	–सम–
33	श्री जोगिन्द सिंह	III	हिसार	हिसार	–सम–
34	श्री राय बहादुर	III	हिसार	हिसार	–सम–
35	श्री बहादरु सिंह	III	हिसार	हिसार	–सम–
36	श्री मनोहर लाल	III	हिसार	हिसार	–सम–

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कई केसिज जैसे टिकट हेरी फेरी के केसिज है ओर जो कन्डकटरों के खिलाफ होते है, डिसाईड नही होते और लम्बित पड़े रहेते है। लेकिन क्या

मंत्री जी बताएंगे कि जनरल मैनजेजर, रोडवेज ओर अन्य बड़े अधिकारियों के खिलाफ कितने ऐसे केस पड़े है जो कि डिसाईड नही हुए और लम्बित है?

श्री धर्मबीर सिंहः क्लास–I और क्लास–IV के जितने अधिकारी/कर्मचारी है, उनके खिलाफ इस प्रकार के कोई केसिज नही हैं

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इनके नोटिस में यह बात है कि रोडवेज की वर्क ाापों में सब–स्टैण्डर्ड माल आ जाता है और इनमें काफी गड़गड़ी होती है क्या इनके पास ऐसी कोई ि ाकायत आई, जिसमें टिकट रि–इ ू कर दिये गये हो यदिहां तो ऐसे कितने केसिज है और सरकार इन केसों पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री धर्मवीर सिंहः मैटीरियल के सब–स्टैण्डर्ड होने की कोई ि ाकायत हमारे नोटिस में नही आई है। जहां तक टिकट रि इ ू का संबंध है, इस बारें भिवानी में एक, रिवाड़ी में 3 और हिसार में एक मामला नोअिस में आया है। इन केसों पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए दोशी कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है।

श्री मेहेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जाननाचाहता हूं कि क्या इनके नोटिस में यह बात है

कि हरियाणा राज्य में कई बसें ऐसी चल रही है जिनसे महीने में 25 रूपये की इनकम नही होती?

श्री धर्मवीर सिंहः ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नही है।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जील राय बहादुर को हरा कर यहां आये है जिनके समय में रोडवेज घाटे में चल रही थी। मै मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब से ये मंत्री बने है, इस महकमे में कितना घाआ या फायदा हुआ?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर सर, मै इस साल का अप्रैल से जुलाई, 1988 तक का ब्यौरा इन्हें बताना चाहूंगा। इन चार महीनों की अवधि में ही 95 प्रति ात से अधिक मुनाफा हुआ है। (थम्पिंग)

Recommendations of Eradi Commission

***616 Sh. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the state Government has received a copy of the report of Justic Eradi Commissionin regard tothe division of waters under the Pubjab accord; if so, the action taken or proposed to be taken on the recommendations of the commission?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh): The report of the Ravi and Beas Waters Tribunal has been received. The State Government has considered the report and made a reference to the Tribunal under Section 5(3) of the Interstate Water Disputes Act. 1956. The matter is

under consideration of the Tribunal and its further report is awaited.

श्री मंगल सैनः क्या हमारे माननीय सिचाई मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेगे कि ट्रिब्यूनल ने जो रिपोर्ट दी है, उसके सेलियैट फीचर्ज क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इराडी ट्रिब्यूनल ने अपने रिपोर्ट 20.05.87 को दी। उस रिपोर्ट में दो बाते हरियाणा प्रांत के लिए बहुत ही इन्पोटैट है। एक तो इराडी ट्रिब्यूनल ने होल्ड किया है कि Haryana is a part of Indus basin और सैकिन्डली पंजाब जो कलेम कर रहा था कि रावी व्यास के पानी परउनका ही हक है being a riparian state हरियाणा का नही, that claim of Punjab has been rejected by the Eradi Tribunal. इसके अलावा इन्होने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है हालांकि उनको रैफरैन्स नही था लेकिन अपनी रिपोर्ट के कनक्लूडिग पैरे में लिखा है कि एफर्टस किये जाये कि एस0 वाई0 एल0 कैनाल जल्द से जल्द कम्पीट हो ताकि यह पानी हरियाणा प्रांत को मिल सके। हरियाणा प्रांत को टोटल पानी में से 3.83 एम0 ए0 एफ0 पानी देने का इराडी ट्रिब्यूनल ने फैसला किया हैं

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सिचाई तथा बिजली मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने ट्रिब्यूनल के समाने कितने पानी का क्लेम किया और कितना दिया गया?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इराडी ट्रिब्यूनल को जो रैफरेन्स भेजा गया था, वह राजीव लौगोवाल के बची जो एकोर्ड साइन हुआ था, उसक`तहत भेजा गया था। पानी का क्लेम हमारा काफी था और हमारी उसमें मेन बात थी कि पानी नीड बेसड होना चाहिए। हमें पानी की अधिक जरूरत है इसलिए हमें अधिक मिलना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने जो फांइडिग दी है। उसमें 3.83 एम0 ए0 एफ0 हरियाणा को और 5 एम0 ए0 एफ0 पंजाब को रिकमैड किया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मै आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन–जिन प्वायंट पर इराडी कमी ान ने रिपोर्ट दी है, उन प्रत्येक प्वायंअ पर हरियाणा सरकार का क्या स्टैन्ड है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जिन–जिन प्वाट्यंस पर हमारे हम में फैसला हुआ है वह तो मैन बता दिये। हमारा मेन प्वायंट था कि Haryan is a part of Indus basin जिस पर हरियाणा के हक में फैसला हुआ है और पंजाब के खिलाफ हुआ है। पंजाब का यह क्लेम था कि पंजाब ही अकेला इस पानी के लिए एनटाइटल है Being a riparian state. That claim of Punjab has been rejected by the Eradi Tribunal दूसरे, जो 3.83 उम0 ए0 एफ0 पानी हमें ऐलोकेट हुआ हे, उसकों हमने कम माना है। अब हमने इन्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट ऐक्ट, 1956 की धारा 5 सब–क्लास 3 के तहत रैफरेन्स अडाला है कि बिलों रिग स्टे ान जितना भी पानी

अवेलेबल है, वह सारे का सारा हमें मिलना चाहिए। यह रैफरेन्स हमने डाला है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैने मंत्री महोदय से सवाल यह किया था कि कितने पानी की डिमान्ड की थी और आपने कह दिया कि बहुत पानी की डिमान्ड की थी। मै यह पूछ रहा हूं कि नीड बैस्ट कितना था और कितने मैयरमैट है? दूसरे जो हमने इन्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट ऐक्ट, 1956 की धारा 5 की सब क्लाज 3 के तहत रैफरेन्स डाला है, उस फैसला कब तक होने की आ ाा है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः माननीय सदस्य को आपे द्वारा बतानचा हूंगा कि हमने टोटल क्लेम कितना किया है उसकी ऐग्जैक्ट फिगर नही है कि हमें इतना ही मिलना चाहिए। हमने अलग–अलग हिसाब से क्लेम किया है कि हमारी इतनी इरीगे ान है, इतनी हमारी क्वियरमैंट है। हमने कहा है कि बल्क औफ वाटर हमें चाहिए ऐसा रैफरैन्स हमने डाला है।

श्री मंगल सैनः मैने मैयरमैट के बारें में पूछा है उसका जबाब नही आ रहा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः ऐग्जैक्ट फिगर्ज नही दी सकती। ट्रिब्यूनल में 10.10.88 को नैक्सट डेट लगी हुई है। तीन–चार डेट्स लग चुकी हैं हर तारीख पर गवनमैंट औफ इंडिया और

पंजाब सरकार आगे की तारीख मांग लेते है। कि अभी यह फैसला नही दिया जानाचाहिए क्योंकि पंजाब में हालात नार्मल नही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस ट्रिब्यूनल की ओर से पहले जो फलो औफ वाटर की मैयरमैट हुई थी, उसमें जितनी क्वाटिटी की पैमाइं ा की गयी थी, उसी आधार पर उसमें घटत–बढ़त मानते है या उसमें कम घटत–बढ़त मानते है?

श्री वीरेन्द्र सिहः यह जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है, उसने उमसें यह कहा है कि रिंग स्टे ान से अब टोटल जो पानी अवेलेबल है, वह 1.11 एम0 ए0 एफ0 हैं उस 1.11 एम0 ए0 एफ0 वाटर में से कुछ पानी हरियाणा को ऐलोकेट किया गया है ओर कुछ पंजाब को ऐलोकेट किया गया है। इस प्राकर से पंजाब का हिस्सा 4.22 से बढ़ाकर 5.00 एम0 ए0 एफ0 किया गया है। और हरियाणा का हिस्सा 3.50 से बढ़ाकर 3.83 एम0 ए0 एफ0 किया गया हैं

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, कुछ जवाब तो आ गया है लेकिन मै इस बारें में कुछ क्लैरीफिके ानप लेना चाहता हू। जिस वक्त इराडी कमी ान ने फैसला दिया, उस वक्त अखबारों में एक खरबर छपी थी। उस खबर की बिना पर मै यह जानना चाहता हूं कि जो हमारा क्लेम था और हमार हक बनता था कि इतना पानी में मिलना चाहिये, उस हक के मुताबिक वह

पानी में मिला है या नही? यह फैसला तो हमारे हक में गया हैं जैसे कि अखबारों में कहा गया था कि सरकार उसका विरोध कर रही थी। लेकिन हमारे अफसर साहेबान ने इनकां यह कन्विन्स किया कि यह फैसला हमारे हक में गया है।

श्री अध्यक्षः आप वैसे ही प्रिज्यूम कर रहे हो। आप सीधा सवाल करे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मै यह जानना चाहता हूं कि यह फैसला हमारे हक में गया है या नही गया है?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, हमारे मैम्बर साहब जो सामने बोल रहे है, यह कांग्रेस पार्टी के लीडर है। यह सवाल इनको हमसे नही करना चाहिये था बलिक केन्द्र सरकार से करना चाहिये था। हमार स्टैड अखबारों में भी आया हैं प्राईम मिनिस्टर ने कहा है कि हरियाणा सरकार ट्रिब्यूनल को मानती नही हैं इसलिये हम कुछ नही कर सकते। यह बहानेबाजी है। चार दफा हम प्राईम किनस्टर से मिल चुके है। चार लैटर लिख चुके है। चार दफा हमारे इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर मौके पर जा चुके हैं पहली दफा जब मै प्राईम मिनिस्टर साहब से मिला तो उनहोने कहा कि आप तो इराडी कमी ान को नही मानते, कैसे फैसला हो? मैने उसका जवाब दिया कि अगर इराडी कमी ान का फैसला माना होता तो मै आपके सामनेकैसे बैइ सकता? इराडी कमी ान का फैसला बंसी लाल और भजन लाल ने

माना था, उसका हश्र आपके सामने है। जहां तक इराडी कमी ान का ताल्लुक है, हम इस फैसले को मानते है कि उन्होने हमें पानी का हिस्सेदार बनाया। यह हरियाणा के हक में है। यह बात मै हाउस में भी कह चुका हूं और गवर्नर ऐड्रैस में भी यह बात आ चुकी है। लेकिन पानी की मिकदार हमें थोड़ी मिल रही है। जैसे इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर ने कहा, पानी की मिकदार पूरी चाहते है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने इसकों पोलिटीकल इ ू बना रखा है। जहां तक डा0 मंगल सेन जी ने सवाल का सम्बन्ध है, ये सवाल तो यहां करते है लेकिन जब हम न्याय युद्ध 23 मार्च को लड़ रहे थे और उसमें 10 लाख आदमी हाजिर थे, हमारे डाक्टर महोदय ने वहां पर कोई काम नही किया। स्टेज पर तो आ गये थे लेकिन एक कार्यकर्ता भी उस कान्फ्रैस में तैयारी के लिये नही भेजा था। अब यह है कि अगर केन्द्र सरकार नही मानी तो इसके लिये एक और न्याय युद्ध भाुरू किया जायेगा। उसमें डा0 साहब का पता लग जायेगा। (व्यवधान व भाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी क्या बात करते है? हमारे तो हजारें वहां पर मौजूद थे। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी देवी लालः ये पांच थे। कार्यकर्ता एक भी नही था। (व्यवधान व **भाोर)**

श्री मंगल सैन: स्पीकरसाहब, यह फैक्ट नही है.....

.

Mr. Speaker: No. no. It clinches the issue. The entire matter has been explained. Next question.

(At this state some members rose to ask supplementaries)

Mr. Speaker: Please take your seats. No more supplementaries on this question as I have already called the next question.

Opening of Model School in Each constituency

***577 Sh. Durga Dutt Atri:** Will the Minister for education be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open Model Schools in each constituency in the State; and

(b) if so, the details thereof togetherwiththe time by which the said proposal is likely to mature?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरशीद अहमद):

(क) जी नही।

(ख) प्र न उत्पन्न नही होता।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि ि ाक्षा के स्तर में समानता लाने के लिए यह जरूरी नही कि देहात में भी मौडल स्कूल खोले जाए?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, हमारे यहां मौडल स्कूल का कोई कंसैप ान नही हैं इसलिए हर स्कूल में ि ाक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए कौि ा ा की जा रही है ताकि सब जगह एक जैसी ि ाक्षा दी जा सके।

श्री रणजी सिंहः मंत्री जी ने बताया है कि हरियाणा मतें मौडल स्कल खोलने का कोई विचार नही हैं स्पीकर साहब, गांवों के अन्दर जितने गवर्नमैंट स्कूल है, उन सब की हालत बहुत खराब है। जो मौडल स्कल्ज में ि ाक्षा दी जाती है, उसके मुकाबले में गावों के स्कूल्ज में जो ि ाक्षा दी जाती है, उसका स्तर बहुत घटिया है। मौडल स्कूल खोलने का प्रौजैक्ट बहुत लम्बा चौड़ा नही है। यह नही कि इसके लिए कोई पचास लाख या एक करोड़ रूप्या चाहिए। दस पन्द्रह लाख रूप्ये में हरेक कांस्टीचुऐन्सी में टेस्ट के तौर पर एक स्कूल खोल दिया जाए। स्पीकर साहब, गावों में जो स्कूल है उनमें ि ाक्षा का स्तर घअिया होने के कारण ही लोगो ंने कौनवैन्ट स्कूल्ज या पब्लिक स्कूल्ज घर–घर में खोल रहे है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि इस बारें में सरकार विचार करेगी?

श्री खुरशीद अहमदःस्पीकर साहब, फिलहाल इस तरह के स्कूल खोलने की सरकार की कोई तजवीज नही हैं अगर मेरे साथी कोई सजै ान या कोई कंक्रीट प्रोपोजल देगे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी समाजवादी जनता दल में मिलने जा रही है ओर उसके मैनिफैस्टों में सब को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार ओर पढ़ाई देने का प्रावधान है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि समाजवादी जनता दल के अन्दर मौडल स्कूल या पब्लिक स्कूल बन्द करके सब बच्चों को समान ऐजुके ान दिए जाने की पौलिसी है?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): समाजवादी जनता दल की सरकार काय हो लेने दो, उसके बाद बताएंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः मंत्री महोदय ने बताया है कि हरियाणा में मौडल स्कूल खोने का कोई विचार नही हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जो सरकारी स्कूल्ज की बिल्डिंग्ज है, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है, बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी मैटीनैस का कोई इन्तजाम करने का सरकार का विचार है?

श्री खुरशीद अहमदःस्पीकर साहब, जिनते स्कूल्ज की बिल्डिंग्ज की मरम्मत की जरूरत होती है उसके लिए बाकायदा हर साल कुछ पैसा पी0 डब्ल्यू0 डी0 को उनकी मरम्मत के लिए दिया जाता हैं कुछ पैसा टीचर्ज पैरेन्टस ऐसोसिए ान के जरिए इकट्ठा होता है। उस पैसेको वे अपने आप खर्च करते है। और स्कूल्ज की मरम्मत कराते है। इस साल जहां फ्लड से स्कूल की बिल्डिंग की

ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकोंअसैस करवा रहे है ओर उसके बाद जहां जरूरत होगी वहां खातिरवाह मरम्मत की जाएगी।

चौधरी कुलबरी सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इस साल दसवी का रिजल्ट बहुत खरबा आया है। कई जगह पर रिजल्ट जीरों परसैन्ट है ओर कही पर एक परसैन्ट आया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि रिजल्ट को देखते हुए ि ाक्षा प्रणाली में कोई सुधार करेगें?

श्री खुरशीद अहमदःस्पीकर साहब, इस साल हमारी कोि ा ा यही थी कि बच्चे खुद इम्तिहान में लिखें क्योंकि बच्चों ने खुद पेपर लिखे इसी वजह से यह रिजल्ट जीरो परसैन्ट रहा। बच्चे खुद पढ़ने–लिखने की तरफ ध्यान नदे और टीचर्ज और बच्चों को यह पता लग जाए कि अब नकल से काम नही चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा इसलिए इस दफा वि ो ा ध्यान नकल को रोकने की तरफ दिया गया। इस बारें में मैने रिपोर्ट मंगवाई औरजो कुछ रिपोर्ट मुझे मिली है, उससे पता लगता है कि इसबार नकल नही हुई। स्पीकर साहब, उसी का यह नतीजा है। भाुरू में यह रिजल्ट खराब होना लालिमी था। बहुत से बच्चे और टीचर्ज यह विचार कर रहे थे कि पढ़ने–लिखने की कोई जरूरत नही है। नकल से ही काम चल जाएगा। लेकिन इस साल उनका यह स्वप्न सही नही निकला। स्पीकर साहब, जहां के रिजल्ट खराब है, वहां पर पूरी तरह से छानबीन करके इन्तजाम किया जाएगा।

श्री महा सिंहः स्पीकर सहब, मौडल स्कल और पब्लिक स्कूल्ज के नाम से कुछ प्राइवेट लोगों ने दुकाने खोली हुई हैं और वे ि ाक्षा के नाम पर लोगों से धन लूट रहे है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान है कि इन दुकानों को बन्र कर दिया जाए?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, इनकी यह बात जायज है कि बहुत से स्कूलों मे, कही मौडल स्कूलों का नाम दे रखा है। कही पब्लिक स्कूल्ज बना रखे है, लेागों से इन्ही नामों के ाकरण ज्यादा फीसे ऐठीं जा रही है लेकिन रिकार्ड में केवल वही रा ि ा होती है जोकि ऐक्युअल फीस की होती है। कानूनी तौर पर इसी कारण से वे पकड़ मे ंनही आते। यह मुद्दा सरकार के विचारधीन है। कि किस तरीके से कानून में तरमीम करके ऐसे लोगों को काबू किया जासके। जिससे कि लोगों कि लोगों से कानून के मुताबिक ही फीस ली जा सके, ज्यादा फीसे न ली जा सके।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वर्शा के कारण जिन स्कूलों की छतें गिर गयी है, क्या ऐसे स्कूलों के बच्चों के लिए सरकार कोई दूसरा वैकप्लिक प्रबन्ध करने का विचार रखती है ताकि बच्चें की पढ़ाई को जारी रखा जा सके?

श्री खुरशीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी जिक्र किया है कि फ्लड्ज के कारण जहां–जहां नुकसान हुआ है, उसका फौरी तौर पर जायजा ले रहे है ओर जो भी आल्टरनेटिव इन्तजाम बच्चों की पढाई के लिए हो पायेगा, वह हम करेगे।

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर साहब, सरकार की यह बात तो ठीक है कि हरियाणा में परीक्षाओं में नकल रोकी गयी है और यह पता भी लगेगा कि अब इसके क्या नतीजे होगे लेकिनजहां तक हमें वि वास है कि इसके अच्देही नतीजे निकलेगे। इसके साथ–साथ मै एक बड़ी आव यक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हरियाणा के बच्चों को इंजीनियरिंग कालेजिज में सी0 बी0 एस0 ई0 के बच्चों की निस्बत ऐडमि ान नही मिलती हैं इसका कारण हयह है कि सी0 बी0 एस0 ई0 के बच्चों के नम्बर मिलते है।, जिसकी बिनां पर हरियाण के बच्चे ऐडमि ान से वंचित रह जाते है। कई जगहों पर ऐसा हुआ भी है। दिल्ली में ऐसा हुआ है। मै सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने जा रही है जिससे कि हरियाणा के बच्चों को इंजीनियरिग कालेजिज में ऐडमि ान मिल सके और उन्हें मार्कस भी अच्छे मिले?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर सर, हम सी0 बी0 एस0 ई0 का सिलेबस अख्तियार कर रहे है और मार्किग के हिसाब से भी इन सभी बातों का ध्यान में रखा जाएगा ताकि हरियाणा के स्कूलों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव न होने पाए। इस साल जो

प्रेक्टीकल हुआ है, उसका रिजल्ट खराब रहा है। ऐसा स्टुडैन्ट्स और टीचर्ज दोनों के कारण हुआ है। हमें आ ाा है कि जब हम सी0 बी0 एस0 ई0 का सिलेबस अख्तियार कर लेगे तो हमरा रिजल्ट अच्छा आएगा और उसी के हिसाब से हरियाणा के बच्चों को भी इंजीनियरिग कालेजिज में ऐडमि ान मिल पाएगा।

श्री हजार चन्दः स्पीकर साहब, मै मिनिस्टर महोदय की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि जो पब्लिक स्कूल्ज और मौडल स्कूल्ज है, उनमें टीचर्ज को वेत दिये थोडे जाते है और कागजों पर ज्यादा लिखाये जाते है। क्या सरकार टीचर्ज के सथ इस तरह के भाोशण को रोकने का प्रबन्ध करेगी?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, ऐसे मामलों में हमें टीचर्ज की कोआपरे ान की आव यकता है। वे हमें ऐफीडेविट दे, ब्यान दे। जो ि ाकायते इस सम्बन्ध में हमारे पास आएंगी, हम उन पर सख्ती से कार्यवाही करेगे और ऐक ान लेगे। दूसरा हमें ऐसे मामले में पुलिस का भी कोआपरे ान मिल सकता है। इन चीजों की देखते हुए अगर किसी मैम्बर साहेबान के ध्यान में कोई ऐसी बात हो तो वे हमारे नोटिस में लाए अगर इस बारें में कोई ऐवीडैंस हमारे पास आएगा तो हम अव य कार्यवाही करेगे ओर सुधार लाने की कोि ा ा करेगे।

श्री शिव प्रसाादः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ि ाक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये काफी पग उठाये है ओर

नकल के केसिज में काफी सख्ती बरती गई है। और उसके परिणाम भी सामने आए है। क्या सरकार ऐसी संस्थाओं के हैड्ज के खिलाफ कोई ऐक ान लेने का विचार रखती है जहां का रिजल्ट जीरों परसैन्ट आया है?

श्री खुरशीद अहमदःयह आसपैक्ट जेरे गौर है। इस कार्यवाही की जाएगी।

श्री कांति प्रकाश भल्लाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा के स्कूल्ज में टीचर्ज की बहुत कमी है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई वगैरह ठीक ढंग से नही हो पारही है। और बच्चे अमूमन इसी कारण से फेल हो रहे है। क्या सरकार इस कमी को जल्दी ही पूरा करने का विचार रखती हैं अगर सरकार का ऐसा विचार है तो कब तक सभी स्कूल्ज में टीचर्ज की कमी को पूरा कर दिया जाएगा।

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, टीचर्ज की कमी हर साल बढ़ती चली जा रही है क्योंकि स्टुडैन्ट्स भी हर साल ज्यादा होते चले जा रहे है। हम कोि ा ा करते आ रहे है कि जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा किया जा सके।

श्री कांति प्रकाश भल्लाः स्पीकर साहब, इस समय टीचर्ज की कितनी कमी है? आनरेबल मिनिस्टरयह सूचना इस हाउस में दें।

श्री खुरशीद अहमदःयह सूचना अभी मेरे पास अवेलेबल नही है। इसके लिये यदि आनरेबल मैम्बर अलग से नोटिस दे, तो हम बता देगे।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से ि ाक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूंकि क्या हथीन क्षेत्र मे नूंह और फिरोजपुर झिरका की तरह मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की तरफ से मौडल स्कूल खोलने का विचार है? उस बोर्ड के पास पहले ही बहुत पैसा है और मेरा हथीन क्षेत्र भी उसी में पड़ता है?

श्री खुरशीद अहमदः अभी कोई विचार नही है।

Veterinary Hospital in Rai Constituency

***608 Sh. Maha Singh:** Will the Minister of state for Animal Husbandry be pleased to state-

(a) Whether ther is any proposal under consideration of the Government to open new Veterinary Hospitals in Rai Constituency in district Sonipat; and

(b) If so, the time by which the aforesaid hospital are likely to be oepned togetherwith the criteria, if any, adopted by the Government for setting up Veterinary Hospitals in the State?

प ाुपालन राजय मंत्री (श्री अजमत खां):

(क) नही

(ख) प्र न उत्पन्न नही होता। जहां तक नेय हस्पताल खोने के आधार का सम्बन्ध है, सरकार सीधे ही प ा हस्पताल नही खोलती है। केवल वर्तमान प ाधन केन्द्र/प ा औशधालय को स्थानीय आव यकताओं को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया जाता है।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय की 'न' के लिए तो मै धन्यवार ही कर सकता हूं, इसके अलावा और क्या कह सकता हूं? लेकिन मंत्री जी ने यह जो लिखित जवाब के पार्ट (बी) में लिखा है–

"Only the existing stockmen centres/dispensaries are upgraded as Veternary Hospital depending upon the locka requirments."

इस बारें में मै कहूंगा कि हल्का राई की बहुत बडी लोकल रिक्वायरमैंट है? क्या मंत्री जी वहां पर किसी सैंटर को अपग्रेड करने की कोि ा ा करेगे या यह बताने का कश्ट करेगे कि क्या कोई वैटनरी हस्पताल पूरी राई कांस्टीच्सएंसी में है?

श्री अजमत खांः स्पीकर साहब, मै डां0 साहब को बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी उसे बाद हमने इनके हल्के में एक तो नई डिस्पैस्री खोली ओर एक को बड़ा किया। ऐसा हमने जाड़ डोशी और अटरेना मेंकिया है जो राई हल्के में ही हैं।

कामरोड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर कुछ हस्पताल ऐसे है जिनके अन्दर डाक्टरों की अप्वायंटमैट नही होती और हस्पताल ऐसे ही चलते रहते है। जैसे मेरे हल्के का एक गांव है.....

श्री अध्यक्षः यह सवाल तो राई से संबंध रखता है।

कामरेड़ हरपाल सिंहः एक तरफ तो बेरोजगार डाक्टर फिरते है और दूसरी तरफ डिसपैसरीज इनके बगैर खाली पड़ी है। क्या मंत्री जी इनके अन्दर डाक्टरों की अप्वायंटमैंट करेगे?

श्री अजमत खाः यह सवाल राई हल्के में हस्पताल खोने का था इसलिए इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

Upgradation of Schools

***625 Dr. Brij Mohan:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Primary Schools to Middle Schools and from Middle Schools to High Schools in the State during the year 1988-89; if so, the constituency-wise details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): वर्श 1988–89 के दौरान राजय में 50 प्राइमेरी स्कूलों को मिडल स्कूलों तथा 25 मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में स्तरोन्नत किए जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचारधीन है। प्रस्ताव का अन्तिम अनुमोदन होने

के अभाव में विधान सभा क्षेत्रवाद स्कूलों की कोई सूची तैयार नही की जा सकती।

डा0 बृज मोहनः स्पीकर साहब, मै आकपे द्वारा मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं इन्होने कहा कि 50 प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में ओर 25 मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रडे करने की मामला सरकार के विचारधनी हैं क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह कब तक फाइनेलाइज हो जाएगा? कोई अन्तिम महीना बताएंगे?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, हम इसे बहुत ज्दल फाइनेलाइज करने की सोच रहे है।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन स्कूलों को अपग्रेड करने का क्राइटेारिया क्या है? सिरसा जिला में सब से कम स्कूल है, क्या इसकमी को पूरा करने को लिए कोई स्टेप उठा रहे है?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, सिरसा में सब से कम ऐलनाबाद के इलाके में स्कूल है। जब हम स्कूलों को अपग्रेड करते है तेा ऐसे इलाकों का ध्यान रखा जाता है। जो इलाका ज्यादा बैकवर्ड होता है उसे सबसे पहले नम्बर दिया जाता है।

श्री जय नारायण खुंडियाः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिलावार प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करने की कितनी कितनी संख्या है?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, जब डिस्ट्रिक्टवाइज और कांस्टीच्यूएंसीवाइज लिस्ट बनाई जाएगी, उस समय क्वांटिटी के हिसाब से अगर हर हल्के में एक स्कूल अपग्रेड करने के लिए मिल जाता हैं तो उस हिसाब से स्कूल अपग्रेड करेगे। जिसहल्के में स्कूलों की ज्यादा जरूरत है, वहां पर थोड़े ज्यादा स्कूल अपग्रेड करने को बारें में विचार करेंगे और जिस हल्के में पहले ही काफी स्कूल है, वहां पर स्कूलों को अपग्रेड करवाने के लिए मैम्बर साहेबान को थोड़ा इन्तजार करना पड़ेगा।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्कूल अपग्रेड करने के लिए जि समय डिस्ट्रिक्टवाइज ओर कांस्टीच्यूएंसी वाइज लिस्ट बनाई जाएगी, क्या उस समय नांगल चौधरी ओर नारनौल हल्के का वि ोश ध्यान रखा जाएगा क्योंकि ये इलाके ि ाक्षा के हिसाब से बहुत ही पिछडे हुए है और इन इलाकों में अब तक ि ाक्षा की तरफ कोई वि ोश ध्यान नही दिया गया है?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, जिस इलाके में ि ाक्षा की तरफ अब तक कोई वि ोश ध्यान नही दिया गया है, उस इलाके में ि ाक्षा की तरफ वि ो ा ध्यान दिया जाएगा।

श्री भागमलः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे, क्या उसी तरह से

टैन–प्लस–टू–स्कूलों को भी अपग्रेड करने के बारें में गौर किया जाएगा?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, इसके लिए भी गौर किया जाएगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, पिछले दिनों सरकार की नीति सुनने में आई थी कि लड़कियों के स्कूल अपग्रेड किए जा रहे है। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या लड़कियां के स्कूल इन 50 और 25 स्कूलों के अलावा अपग्रेड किए जाएंगे?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने सरकार की जिस नीति के बारें में सुना है वह लड़कियों के लिए नए प्राइमरी स्कूल खोलने के बारें में थी लड़के–लड़कियां के लिए अलग से ऐक्सकल्यूसिवली स्कूल नही होते। स्कूल अपग्रेड करते वक्त लड़के लड़कियों के स्कूल एक साथ मिला कर ही अपग्रेड किए जाते है। हैं लेकिन लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए प्रैफरैंस दी जाती है।

श्री रतन लाला कटारियाः स्पीकरसाहब, मै आकपे माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली बार स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए जो आधार बनाया गया था, क्या इन 50 और 25 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए उसी आधार को माना जाएगा? इसके अलावा मै यह भी जानना चाहूंगा कि उस समय से

लेकर अब तक बच्चों की जो संख्या बढ़ी है, क्या ये 50 और 25 स्कूल अपग्रेड होने के बाद उस बढ़ी हुई बच्चों की संख्या को कवर कर सकेगे?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर सहब, बच्चो की संख्या तो हर साल हम सब की कोि ा ा के बावजूद भी बढ़ती रहती है। स्टेट के रिसोसिज को देखकर हमें जितना पैसा मिलता है, उस हिसाब से हमें स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए लिमिट तय करनी पड़ती है ताकि स्टेट के फाइनैसिज को ध्यान में रखते हुए उतने पैसे में हम काम कर सके। इस फाईव ईयर प्लान में स्कूल अपग्रेड करने का जो हमारा कोटा था, वह पूरा कर दिया गया है। इन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए ऐक्सट्रा कोटा मांगा गया है। अगर हमें रिसोर्सिज अवेलेबन हो जाएं, तो हम मैम्बर्ज की वह ख्वाई ा भी पूरी करेगे ताकि जिनके हल्कों में स्कूलों की ज्यादा कमी है, वह पूरी होसके।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, बजट सै ान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह ऐलान कियाथा कि जिस गांव के लोग लड़कियों के स्कूल के लिए बिल्डिगं बनाएंगे, उसे लिए सरकार की तरफ से दुगनी मैचिग ग्रांट दी जाएगी। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर किसी गांव के लोग लड़कियों के स्कूल के लिए बिल्डिग बना कर दें दें, तो क्या वहां स्कूल भाुरू कर दिया जाएगा?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर ाहब, बिल्कुल भाुरू कर दिया जाएगा।

कुमारी मेधावी कीतिः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने कहा था कि जो हल्के ि ाक्षा के हिसाब से पिछड़े हुए है, उनकी तरफ वि ोश ध्यान दिया जाएगा। आप सभी जानते है। कि झज्जर हल्का ि ाक्षा के हिसाब से बहुत ही पिछड़ा हुआ हैं और उसकों पिछडा हुए इलाका भी घोशित किया हुआ हैं इस क्षेत्र की ि ाक्षा प्रणाली बहुत पिछड़ी हुई है। इस क्षेत्र में स्कूल अपग्रेड करना तो दूर की बात है, उसमें जो बड़े–बड़े गावं है, उनमें ठीक तरह से स्कूल भी स्थापित नही हो सके है। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या झज्जर के इलाके की ि ाक्षा प्रणाली ओर स्कूलों की ठीक व्यवस्िा करने के बारें में सरकार कोई वि ोश ध्यान देगी?

श्री खुरशीद अहमदः स्पीकर साहब, झज्जर इलाके की ि ाक्षा के लिए जरूर वि ोश ध्यान दिया जाएगा।

New Building of operation Theatre Civil Hospital, Karnal

***627 Seth Lachhman Dass Bajaj:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) Wheter it is a fact that the operation theatre of Civil Hospital, Karnal has been declared unsafe by the Public Works Departmen;

(b) Whether if is also a fact that the medical instruments used in the said operation theatre have become unserviceable; and

(c) If so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to construct new building of the said operation theater and replace the unserviceable instruments thereof?

स्वास्थ्य एवम् आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) जी हां। दिनांक 18.7.88

(ख) जी नही।

(ग) आप्रे ान थियेटर का भवन मुरम्मत योग्य नही है जैया कि लोग निर्माण विभाग ने बताया है। नए आप्रे ान थियेटर का निर्माण परम् अग्रता के आधार पर मुख्य वास्तुक हरियाणा की सलाह अनुसार करवाया जाएगा। आप्रे ान थियेटर के जो मैडीकल इन्स्ट्रयूमैंटस नाकारा हो जाते है उनको प्रति वर्श बदल दिया जाता है। और आप्रे ान थियेटर में हमे ाा प्रयोग के लिए योग्य इन्स्ट्रयूमैट्स ही प्रयोग में लाये जात है।

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय,मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक यह आपरे ान थियेटर ठीक नही हो जाता जब तक कही दूसरी जगह पर मरीजों के आपरे ान किए जाने का प्रंबध किया जायेगा।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मै इन्हें बताना चाहूंगी कि करनाल हस्पताल के अन्दरन एक पी0 पी0 सैन्टर है। वहां के सी0 एम0 ओ0 को लिख दिया गया है कि इस पी0 पी0 सैन्टर में जो आप्रे ान थियेटर ठीक नही ह जाता तब तक पी0 पी0 सैन्टर के आपरे ान थियेटर में ही आपरे ान होगे।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सोनीपत के मौजूदा सिविल हस्पताल की हालत बहुत खराब है। मै इन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि वहां पर नए हस्पताल की बिथ्लडग तैयार हो चुचकी है। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नई बिल्डिग का कब तक उद्घ्ज्ञाटन कर दिया जायेगा?

श्रीमती कमला वर्माः दिसम्बर, 1988 तक इस नई बिल्डिग का उद्घाटन कर देंगे।

श्री जय नारायण खुंडियाः स्पीकर साहब, यह सवाल तो करनाल के सिविल हस्पातल से संबंधित है लेकि चूंकि सवाल सिविल हस्पताल से संबंधित हैं इसलि मै आकपे माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि रोहतक सिविल हस्पताल की जो ऐक्सरे म ाीन काफी दिनें से खराब पड़ी हुई है, उसे कब तक ठीक करा दिय जायेगा?

श्रीमती कमला वर्माः रोहतक सिविल हस्पताल के ऐक्सरे प्लांट की एक टयूब खराब हो गई है। हम इसे ठीक कराने के लिए इन्जीनियर को लिखते रहे है लेकिन जब तक वह आ कर

ठीक नही कर जाता जब तक इय समस्या बनी रहती है। मुझे इस बात ाक पता है वहां का ऐक्सरे प्लांट काम नही कर रहा है अैर मै इन्हें बताना चाहूंगी कि इसे भीघ्र ही ठीक कराने का पूरा प्रयास किय जा रहा है।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल करनाल जिले से संबंधित है मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कया इन्हें कभी किसी हरियाणा के सिविल हस्पताल में ऐडमिट होकर इलाज कराने का मौका मिला है? दूसरे क्या इन्होने यहां के सिविल हस्पतालों की हालत को अच्छी प्रकार से देखने की कोि ा ा की है क्योंकि यहां के हस्पतालों में न तो दवाइयां लोगों को मिल पा रही है और न ही दूसरी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मै इन्हे बताना चाहूंगी कि मुझे कईबार ऐडमिट होने का अवसर मिला है। माननीय सदस्य इसबात के लिए चिन्ता न करे। मै उन्हें बताना चाहती हूं कि मंत्री बनने के बाद मैने 50 के आसपास हस्पतालों का अचानक निरीक्षण किया है। हम पूरी कोि ा ा करते है कि स्टाफ की वजह से या दवाइयों की वजह से जा इक्यूपमैंटस की वजह से लोगों को कोई परे ाानी न आएं सीमित वित्तीय साधनों के कारण कुछ कमियां है, जिन्हे ठीक करने का प्रयास है।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि हर सै ान में हस्पतालों से संबंधित सवाल आते है ओर हर बात कहा जात है कि हम लोगों को पूरी सुविधाएं दे की कोि ा ाकरते है। हर सै ान में हर मैम्बर मांग करते है कि मेरे यहां के हस्पताल को 50 बैड्ज का कर दिया जाये ओर जो 150 बैड्ज का है उसे 200 बैड्ज कर दिया जाये। मै मंत्री जी के उस हस्पताल की हालत देखी थी कि वहां के कमरे टूटे हूए है ओर एक टूटे हुए कमरे में गो खड़े थे। क्या मंत्री जी ने उन खड़े हुए गधों को देखा था? (हंसी) दूसरे क्या वहां पर नया हस्पताल बनाया जायेगा?

श्रीमती कमला वर्माः मैने माननीय सदस्य को कई बार कहा है कि आप हमें वहां पर जमीन दिलवा दें, हम बिल्डिग बना देगो। हमने वहां के लिए स्वीकृति प्राप्त की हुई है। ये जमीन उपलब्ध करवा देगे तो जल्दी ही वहां पर नई बिल्डिग बना दी जायेगी। जहां तक गधों की बात है, माननीय सदस्य अधिक जानते होगे, मुझे कोई नही दिखा। (हंसी)

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, सिविल अस्पताल, कैथल को 100 से 200 बैड्ज का अस्पताल बने हुए दो साल हो चुक है, वहां पर स्टाफ और म ाीनरी भी पूरी है लेकिन बिल्डिग सफि ाैण्ट नही हैं पिछले विधान सभा सै ान में भी मैने यह बात उठाई थी लेकिन मंत्री महोदया ने कोई वि वास नही दिलाया था। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मत्री महोदया से

यह जानना चाहूंगा कि इस अस्पताल के लिए नई बिल्डिग को निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?

श्रीमती कमला वर्माः कैथल में नौर्म के मुताबिक 100 बिस्तर का अस्पताल सैक ान्ड है और निर्धारित नार्म के मुताबिक इस सिविल हस्पताल की बिल्डिग ठीक है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सवाल पूछने की हमारी हिम्मत नही नहोती क्योंकि सवाल करनाल का है लेकिन जो सवाल मै पूछना चाहता हूं वह फरीदाबाद से संबंधित है। फरीदाबाद मे ंपहले ही एक अस्पताल 'बाद ााह खान' के नाम पर बना हुआ है और इस अस्पताल की हालत के बारें में श्री कुन्दन लाल भाटिया जी ज्यादा बेहतर ऐक्सप्लने कर सकते है। फरीदाबाद के सैक्टर 8 में एक बड़ा अस्पताल बनवाने का प्रावधान था। सैक्अर–8 अब पूरी तरह डिवैल्प हो चुका है और इसकी आबादी भी काफी ज्यादा हैं मै मत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या अब सैक्टर–8 में एक बड़े अस्पताल का निर्माण नीयर फयूचर में करवायेगे?

श्रीमती कमला वर्माः साधन उपलब्ध होने पर इस बारें में अव य ही यत्न करैगे।

श्री आत्मा राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, अमूमन देखा गया है कि सिविल अस्पतालों के ऐक्सर–रे प्लांट खरबा ही मिलते है। इन ऐक्स–रे प्लांटस को खरबा रखने में वहां के डाक्टरों और

कर्मचारियों की सांजि ा भी हो सकती है। मै मत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान नही किया जासकता जिसमें एक स्पै ाल स्कवैड बना दिया जाए जो कि इन ऐक्स–रे म ाीनों की निगरानी करें और जो ऐक्स–रे प्लांट खरबा हो, उसे ठीक कर सके?

श्रीमती कमला वर्माः इस बारें में स्थिति इस प्रकार है कि जिस फर्म से ऐक्सरे प्लाट खरीदा जाता है,उसकी मुरम्मत क लिए वही फर्म रिन्पोन्सिबल होती है। ज्यों ही किसी ऐक्सरे प्लांट के खरबा होने के बारें में हमेंसूचना मिलती है, हम तत्काल संबधित फर्म को इन्जीनियम भेजने के लिए लिखते है। कई बार फर्म को बार–बार लिखने पर भी इन्जीनियर जल्दी नही भेजा जाता। फिर भी हम सूचना मिलने पर ऐक्सरे प्लांट को जल्दी ठीक करवाने का प्रयत्न करते हैं माननीय सदस्य ने 'स्कवैड' बनाने के लिए जो सुझाव दिया है। उसके बारें में भी विचार कर लेगे। हम सोच रहे है, अपने ही प्रांत में कुछ तकनीकी लोग तैयार किये जायें।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में डाक्टर तो मिलते है, म ाीनरी भी मिलती है। लेकिन दिवाई नही मिलती। मै स्वास्थ्य मत्री साहिबा से यह जाननता चाहूंगा कि अस्पतालों में दवाई का पूरा प्रबन्ध कब तक कर दिया जाएगा और दूसरे अस्पताल के अन्य खर्चो और दवाईयों के खर्चे में क्या अनुपात है?

श्रीमती कमला वर्मा: जिस प्रकार से इनडोर और आउटडोर में रोगियों की संख्या बढ़ रही है हम उसी प्रकार से से पे ान्ट्स को दवाईयां नही दे पा रहे है। हमारे मुख्य मंत्री श्री देवी लाल जी ने एक कमेटी का गठन किया है जिसक चेयरमैन श्री बी0 डी0 गुप्ता, उप मुख्य मंत्री जी है। यह कमेटी विचार कर रही है कि अस्पतालों में दवाईयों को प्रौविजन किस प्रकार से बढ़ाया जाए। हमने इस कमेटी के माध्यम से कई ऐसे निर्णय लिये है जिससे कि अस्पतालों मं दवाईयों का प्रावधान अधिक हो सकेगा। बजट के अनुसार विभिनन अस्पतालों को द जाने वाली दवाईयों का ब्यौरा इस प्रकार है। एक सब–सैन्टर के लिए वर्श में 2 हजार रूपये की दवाईयों एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर के लिए एक लाख रूपये की दवाईयां ओर एक अस्पताल के लिए दस से पन्द्रह लाख रूपये की दवाईयां। इस के अतिरिक्त एक सी0 एम0 ओ0 के पास 25 से 35 हजार रूपये की रा ि ा आपात्कालीन स्थिति से निपटने के लिए दी जाती है ताकि किसी ऐक्सीडैन्ट या ऐमरजैन्सी रोगी को दवाई देने में किसी प्रकार की कोताही न हो।

डा0 बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, ऐक्सरे म ाीन रेडियोलोजिस्ट बाहर के प्राइवेट आदमियों से मिली भगत कर लेते है और जानबूझ कर अपनी म ाीने ठीक नही होने देते। मै मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ऐक ान लिया गया है?

श्रीमती कमल वर्मा: आप मुझे लिख कर दें जो दोशी होगे उनके खिलाफ सख्त ऐक ान लिया जाएगा।

श्री महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी श्री भागी राम जी ने मंत्री महोदया ने यह कहा है कि यदि वे जमीन उपलब्ध करवा दे, तो वे वहां पर अस्पताल बनवा देंगी। मै माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह छूट केवल भागी राम जी के लिए ही है या कि सब के लिए है? मै जितनी जगह ये चाहो देने के लिए तैयार हूं क्या ये मेरे हल्के में अस्पताल बनवाने की कृपा करेगी।

श्रीमती कमला वर्मा: अस्पताल बनवाने के लिए कुछ नौर्म निर्धारित किये हुए है ओर उन नोर्मज के मुताबिक ही अस्पताल बनाये जा सकते है।

Strike in the Cooperative sugar Mill, Shahabad

***588 Sh. Harnam Singh:** Will the Minister of state for cooperation be pleased to state whether any strike took place in the cooperative sugar Mill, Shahabad during the period from 25-1-1988 to 25-02-199; if so, the reasons thereof togetherwith the action taken in the matter?

सहकारित राज्य मंत्री (डा0 रघुवीर सिंह): जी हां। सूचना बतौर अनुबन्ध 'क' सदन के पटल पर रखी जाती हैं

अनुबन्ध 'क'

सहकारी चीनी मिल भााहबाद में दिनांक 25.01.1988 को प्रांतः 10–30 बजे से सायं 4–30 बजे तक हड़ताल हुई थी। 21.1. 88 को मजदूर संघ ने 4.2.88 को हड़ताल करने के लिए नोअिस दिया था। क्योंकि गन्ना पिड़ाई का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा था, मिल तथा गन्ना उत्पादकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक निर्दे ाक द्वारा मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को 25.01. 1988 को बुलाया गया कि वे हड़ताल ने करे। बातचीत के दौरान श्री बाबूराम, महा सचिव, मजदूर संघ ने प्रबन्धक निदे ाक तथा सुरक्षा अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया तथा अभर्द भाशा का प्रयोग किया। उस समय श्री श्री बहादुर सिंह, प्रचार सचिव, मजदूर संघ ने सायरन बाज कर हड़ताल का संकेत सभी कर्मचारियों को दे दिया ओर मिल प्रातः 10–30 बजे बन्द हो गई। प्रबन्धकों द्वारा समझाए जाने पर मिल का कार्य उसी दिन छः घंटे बाद, बाद दोपहार 4–30 बजे भाुरू हो गया।

चार मजदूर जिन्होने अन्य मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाया था, उन्हें निलम्बित कर दिया गया तथा इस बारें में जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मिल की स्थापना कमेटी की आगामी बैठक में इस बारें में कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मै आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो इन्क्वारियों भाुरू की गई उनमें अफसरों को कितनी बार बदला जा युका है और कितने

आदमियों से करायी गई है? यह इन्क्वायरी पहले एस0 डी0 एम0 को दी गई, फिर दूसरी बार ए0 डी0 सी0 को दी गई और फिर तीसरी बार डी0 सी0 को दी गई। इसलिए मै यह भी जानना चाहता हूं कि किस के कहने से ये इन्क्वायरी बदली गई?

डा0 रघुबीर सिंहः भााहबाद मिल की कई इन्क्वारियों चल रही है। मै माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि वे किस इन्क्वायरी की बात कर रहे है?

श्री हरनाम सिंहः एक तो लेबरर्ज की भााहबाद भूगर मिल में हड़ताल हुई और दूसरे भााहबाद भूगर मिल के एम0 डी0 ने जो घपला किया था, उनकी इन्क्वायरी चल रही थी, उनका क्या हुआ?

डा० रघुबीर सिंहः माननीय सदस्य ने दो इन्क्वायरीज का जिक्र किया है। जहां तक मजदूरों की स्ट्राइक का सम्बन्ध है, उसे बारें में हमने ऐक ान लिया था। जो मजूदर इन्वौल्वड थे, उन्ही के खिलाफ ऐक ान लिया गया है। चार वर्कर्ज को सस्पैन्ड किया गया था अब उनकी इन्क्वायरी कम्पलीट हो चुकी है ओर नैक्सअ मीटिग एस्टेबलि ामैंट कमेटी की होनी है, उस मीटिग में फैसला लिया जायेगा। जहां तक एम0 डी0 के विरूद्ध कम्पलेन्ट की बात है, उसकी इन्कवायरी ए0 डी0 सी0 कुरूक्षेत्र के पास पैडिग है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद, उसी के हिसाब से ऐक ान लिया जायेगा।

कामरेड हरपाल सिंहः मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो मजदूर हड़ताल करते है, चाहे वे सरकारी मिलों के है या दूसरे कारखानों के मजदूर है, जब उन्हें पन्ि ामेंट देने की बात आती है तो दो महीने में दे दी जाती है और जगर मुनाफे की बात आती है या इन्साफ देने की बात आती है डेढ़ डेड साल लग जाता है, इसका क्या कारण है? डेढ़ दो साल तक केस वापिस आता ही नही है। मै आपके द्वारा एक ऐग्जाम्पल देना चाहता हूं। कल यहां हाउस में श्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला हम मानने के लिए बाध होते है। कई फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मजदूरों के हक में हुए है, लेकिन सरकार उन्हें एम्पलीमेंट नही करती। जहां तक मजदूरों की सुरक्षा का सवाल है, उस ओर सरकार कोई ध्यान नही देती है। (विध्न)

श्री अध्यक्षः आप अपना सवाल करे।

कामरेड हरपाल सिंहः मेरे माननीय साथी ने लेबर डिपार्टमैंट से संबंधित सवाल उठाया है जो मजदूरा कोआप्रेटिव भ्ागर मिल में लेग हुए है, उने बारें मे इसमहान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वे भ्ागर मिल में मजदूर के रूप में भी काम करते है और भोयर होल्डर भी है। किसान के सथ साथ वे मालिक भी है। यह किसानों की इंस्टीच्यू ान है। जहां तक हाईकोर्ट के फैसले की बात है, उस बारं में इस महान सदन की जानकारी के लिए बाना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल

की रहनुमाई में चलती हुई सरकार मजदूरों के हितों के प्रोग्राम लागू करने मे ंसब से आगे है। मेरे साथी कम्यूनिस्ट पार्टी के होने के कारण मजदूरों के बहुत हामी है, लेकिन चौधरी देवी ला की सरकार किसी भी तरह से मजदूरों के हित में सिी से पीछे नही हैं मै एक बात और कहनाचाहता हूं कि हमारे उन मजदूरों को भी श्रेय जाता है और साथ ही अफसरों कोभी जाता है कि इतने सूखे के बावजूद भी हमारे महान नेता ने भूगरकेन का भाव 24 रूपये क्विंटल से बढ़ाकर 32 रूपये क्विंटल किया। दूसरी बात यह है कि मजदूरों के कारण आज अकेली भााहबाद भूगर मिल जो अभी तक घाटे में चल रही थी फायदे में ही नही आयी बल्कि उसने 1.60 करोड़ रूपये का फायदा किया है।

श्री हरनाम सिंहः मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भााहबाद कोआप्रेटिव भूगर मिल में जो मजदूर तीन–तीन साल से ऐडहौक बेसिज परकाम कर रहे है, अब उनकों पक्का करने के लिएये उन लोगों से दरख्वास्तें ली जा रही है, क्या आपकी यह बात लेबर लाज के खिलाफ नही है?

डा0 रघुवीर सिंहः मै आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक भााहबाद कोआप्रेटिव भूगर मिल की बात है, वहां पर सीजन के हिसाब से लोग घटते बढ़ते रहते है। आज काम ज्यादा हुआ तो आदमी ज्यादा लग गये ओर काम कम हुआ तो कम रह गये। मेरा कहने का मतलब यह है कि मजदूर उसी हिसाब से रखे जाते है जाह तक उनकी परमानैट

करने की बात है, हमारे पास जो परमानैट वर्कर्ज है, वह थोड़े होते है, जो बारह मास काम करते है और जिनकी औफ सीजन में जरूरत होती है। इनके अलावा हमारे पास कुछ सीजनल ओर कुछ डेली वेजिज पर वर्कर्ज होते है। (व्यवधान व भाोर)

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय से यज जानना चाहता हूं कि इस हड़ताल के मुख्य कारण क्या थे?

डा0 रघुवीर सिंहः स्पीकर सर, वैसे तो मैने यह इन्फर्मे ान सदन के पटल पर रख दी है। अगर मेरे माननीयसाथी उसको पढ़ते और देखते तो उसके मुख्य कारण पता जाते लेकिन मै इनको बताना चाहता हूं कि यह स्ट्राइक जो भी, यह बगैर नोअिस के ही गयी थी। 21 तारीख को एक हड़ताल का नोटिस दिया गया था कि 4 तारीख से हड़ताल पर जायेगे। उस 4 तारीख की हड़ताल को टालने के लिए एक मीटिग एम0 डी0 भाूगर मिल ने वर्कर्ज के साथ की थी। उसमें वर्कर्ज को समझाने की कोि ा ा की गयी। वह वहां पर ऐजीटेट हो गये। उन्होने एबरप्टली सायरन बजा दिया और मजदूर हड़ताल पर चले गये। वह हड़ताल 6 घंटे तक रही। उसे बाद मजदूर ने जब अपनी गलतियों मानी वह हड़ताल खुल गई।

श्री हरनाम सिंहः इसमें यह कहा गया है कि इन्क्वायरी कर रहे है और अभी उसका फैसला नही हुआ है। अब उसका

फैसला आने से पहले मिनिस्टर साहब ने जो कह दिया है, यह दरूस्त बात नही है।

डा0 रघुवीर सिंहः कौन–सी बात के बारें में कह रहे हो?

श्री हरनाम सिंहः आपने अभी कहा कि उन लोगों को इन्साइट कियागया स्पीकर साहब, अभी तक उसकी इन्कवायरी पर ऐक ान होना पैडिग है। अभी उस आत का फैसला नही आया है लेकिन मिनिस्टर साहब यहां पर स्टेटमैंट दे रहे है।

डा0 रघुबीर सिंहः मै माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन की हड़ताल के बाद तो वह लोग अपनी गलती मान कर चले गये। लेकिन आल इंडिया बेंसिज पर जो स्ट्राईक 28 तारीख को अखबर में घोशित हुई थी, उससे पहले 27 तारीख को जिस ढंग से उन लोगों ने बर्ताव किया, उस बिनां पर 4 आदमी सस्पैन्डिड हैं उनकी इन्कवायरी पर ऐक ान पैडिग है। पहली स्ट्राईक के बारं में कोई इन्कवायरी पैडिंग नही है।

Construction of Drain

***641 Ch. Kishan Singh Sangwan:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of The Government to construct a drain from village Rithal (Gohana) to Village Kaloi (Rohtak); and

(b) If so, the time by which it is likely to be constructed?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां, एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध में जांचधीनहै।

(ख) इस स्टेज पर कोई समय सीमा नही दी जा सकती।

चौधरी कि ान सिंह सांगवान: मंत्री महोदय ने बताया है that proposal in this regard is under investigation स्पीकर साहब, रिठाल गांव 1960 से लेकर 1988 तक, सिर्फ दो साल को छोड़कर जबकि सूखा पड़ा था, लगातार 26 साल बाढ़ में डूबा रहा है और यहां के लोग बर्बाद होत रहे है। क्या मंत्री महोदय प्रायरिटी बेसिज पर इस ड्रेन को बनवाने का कश्ट करेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मै 27 तारीख को गोहाना जा रहा हूं और चौधरी कि ान सिंह भी साथ होगे। उसी दिन डिपार्टमैंट के लोग भी वहां होगे। जिस प्रकार ऐग्जामिने ान चल रहा है उससे इसका कोई न कोई तरीका निकला जाएगा जिससे कि रिठाल गांव के लोगों को कम से कम तकलीफ हो।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर सवाल पूछने से ही मंत्री जी जाने के लिए तैयार हो जाते है तो क्या मंत्री जी मेरे हल्के में भी चलेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जब ये हुक्म करेगे, तभी चल पड़ूंगा।

श्री मोहिन्द्रः स्पीकर साहब, उत्तर में दिया है कि प्रोपोजल जांचधीन है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सोनीपत जिले में रोहट कांस्टीचुऐंसी में भी कोई माईनर बनाना अन्डर कंसीड्रे ान है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेन क्वे चन तो ड्रेन के बारें में है। इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

M.I.T.C. Water Courses Area

***650 Ch. Mahender Partap Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total length in kilometers of water coursed of M.I.T.C lined during the period from July, 1987 in the state?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह): 735 किलोमीअर।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मैने अपना सवाल कई पार्ट में भेजा था लेकिन उसको काट दिया गया हैं

श्री अध्यक्षः यह गल्त था।

श्री वीरेन्द्र सिंहः विधान सभा से जो सवाल गया था, उसी का जवाब मैने दिया है। जो चीज गल्त होती है उसको विधान सभा सचिवालय काट देता हैं

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः आपकों तो अब सारी चीजे हमारी गल्त ही लगती है।

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः क्या मंत्री महोदय 1972 से अब तक वर्शवार ब्यौरा बताने की कृपा करेगे कि एम0 आई0 टी0 सी0 द्वारा कितने किलोमीटर वाटर कोसिज पक्के किए गए और कुल कितना एरिया था?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै 1973–74 से ब्यौरा बता रहा हूं– 1973–74 में 37 किलोमीअर, 1974–75 में 666 किलोमीटर, 1975–76 में 828 किलोमीअर, 1976–77 में 1215 किलोमीअर, 1977–78 में 536 किलोमीटर, 1978–79 में 809 किलोमीटर, 1979–80 में 2038, 1980–81 में 1769 किलोमीअर, 1981–82 में 1985 किलोमीअर, 1982–83 में 984 किलोमीअर, 1983–84 में 1123 किलोमीअर, 1984–85 में 1575 किलोमीटर, 1985–86 में 1398 किलोमीअर, 1986–87 में 1293 किलोमीअर, 1987–88 में 993 किलोमीटर और अब मैने बताया है कि 735 किलोमीट बनाये है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि एम0 आई0 टी0 सी0 का कितना एरिया ऐसा बाकी है जो अभी पक्का किया जाना है? पिछली सरकार ने फैसला लिया था कि खालों को पक्का करने का पैसा किसानों से नही लिया

जाएगा। स्पीकर साहब, मै यह भी पूछना चाहता हूं कि उस फैसले के मुताबिक 735 किलोमीटर का खर्चा तो किसानों से चार्ज नही किया जाएगा?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

अतारांकित प्र न एव उत्तर

Upgradationof Senior Secondary Schools

85 Sh. Raghu Yadav: Will the Minister for education be pleased to state-

(a) The District wise total number of Senior Secondary Schools in the state at present;

(b) The total number of such schools[as referred to in part (a) above, which wrer upgarded to senior Highter Secondary Schools during the last five years; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools, as referred to in part (a) above, during the year 1988-89 togetherwith the number thereof in district Mohindergarh?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरशीद अहमद):

(क) राज्य में सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की कुल संख्या का जिलावार विवरण अनुबन्ध 'क' पर रखा है।

(ख) सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अपग्रेड नही किया जाता। इसलिए प्र न के इस भाग का उत्तर देने का प्र न नही नही उठता।

(ग) सीनियर सैकण्डरी स्कूलों जिनका जिकर ऊपर भाग (क) में किया गया है को अपग्रेड करने का प्र न ही नही उठता क्योकि सीनियर सैकण्डरी स्कूल राज्य में स्कूल ि ाक्षा की अन्तिम स्टेज हैं

अनुबन्ध 'क'

राज्य में इस समय जिलावार कुल राजकीय/अराजकीय सीनियर सैकण्डश्री विद्यालयों की संख्या ।

जिला का नाम	राजकीय	अराजकीय	कुल योग
अम्बाला	11	11	22
भिवानी	13	4	17
जींद	9	4	13
फरीदाबाद	11	4	15
गुडगांव	10	2	12
हिसार	17	2	19

करनाल	13	4	17
कुरूक्षेत्र	6	5	11
महेन्द्रगढ़	11		11
रोहतक	17	2	19
सोनीपत	7	7	14
सिरसा	8	2	10
कुल योग	133	47	180

(ii) 10 जमा 2 ि ाक्षा प्रणाली भाुरू करने पर वर्शवार स्तरोन्नत किये गये सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की संख्या

वर्श	राजकीय	अराजकीय
1985—86	132	20
1986—87	1. राजकीय उच्च विद्यालय को स्तरोन्नत किया गया जिसे भौक्षिक सत्र 1987—88 से विद्यार्थियों को प्रवे ा देने की	7

	अनुमति दी गई	
1987—88		10
1988—89		10
कुल योग	133	47

Repair Construction of School buidling in the state

86. Sh. Raghu Yadav: Will the Minister for education be pleased to state-

(a) The total amount sanctioned and spend on the construction and repairing of school buidling during the year 1985-86 (up date), and Rewari Constituency, separately;

(b) The total amount, out of that, as referred to in part (a) above sanctioned for District Mohindergarh and Rewari Constituency, separately; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of Government to ochange the procedure of the sanctioning/spending of building fund of the school?

ि ाक्षा मंत्री (श्री खुर ीद अहमद):

(क) विद्यालय भवनों के निर्माण/मुरम्मत हेतु स्वीकृत रा ि ा तथा खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्श	स्वीकृत रा ि ।	व्यय
1985-86	328.37	305.59
1986-87	540.46	498.80
1987-88	385.50	374.13
1988-89	372.00	उपलब्ध नही

(ख) जिलावार रा ि । स्वीकृतियां जारी नही की जाती।

(ग) हां जी, मामला विचारधीन है।

Supply of stationery Articles to schools

87. Sh. Raghu Yadav: Will the Minister for education be pleased to state-

(a) The total number of manufactures who were allotted the work of supply exercise books for schools inthe state during the years 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 and 1988-89 (up date) togetherwith the quantity thereof allotted and supplied by them; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government Consumer stores for the supply of stationery articles, science appartus and sports goods etc. to the schools?

Interim Reply

"D.O. No.....

Minister of state for

Cooperation, Haryana.

Dr. Raghuvir Singh

M.Sc., LL.B., Ph.D

Subject: Unstarred question No. 87 listed for 24-08-1988.

Dear Chatha Sahab,

The above cited queston was transferred to my department by the education department only yesterday. On study of the question, I find that the informationwill have to be collected from all over the state, which will take atleast a month. It is, therefore, requested whtt a month's extension may kindly be granted for supplying information to the Vidhan Sabha.

With Regards.

Your Sincerly,

Sd/-

(Raghuvir Singh)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Kund Mines

88. Sh Raghu Yadav: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) The time since when the digging work is being done by the Haryana Minerals Ltd. in the mines of Kund;

(b) The number of labourers working therein for more htan five years; and

(c) Whether the said labourers are working on parmanent basis?

उद्योग मंत्री (डा0 किरपा राम पुनिया):

(क) दिसम्बर, 1972 से।

(ख) 196

(ग) नियमित/स्थाई

विभिन्न विशयों को उठाया जाना

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैने दो काल अटैन्शन मोशन्ज के नोअिस दिये है, उनके बारें में आपका क्या निर्णय है? मेरा पहला मोशन मुख्य मंत्री महोदय के टेलीफोन टेप करने से सम्बन्धित था। इस बारें में 32 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से आरोप भी लगाया है।

श्री अध्यक्षः यादव याहब, इस बारें सरकार से कमैन्टस मांगे हुए है जो अभी तक नही आए है।

श्री रघु यादवः मेरा दूसरा मौ ान वृद्धावस्था पैन् ान के बारें में है। रेवाड़ी क्षेत्र के कई पात्र बुजुर्गो के नाम उस पैन् ान सूची में से काट दिए गये है। उसका क्या बना? बड़ा महत्वपूर्ण मसला हैं

Mr. Speaker: Yadav Ji, that has been dis-allowed.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 की 20वी रिपोर्ट के बारें में, मैने रूल 84 के अन्तर्गत डिस्क ानका एक निोअिस दिया था। उस का क्या बना?

श्री अध्यक्षः वह 26.08.1988 के लिए लगाया गया है

श्री रघु यादवः धन्यवाद

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मैने एक काल अटैन्शान मौ ान का नोटिस फरीदाबाद कम्पलैक्स के बारें में दिया थ उसक या फेट है?

श्री अध्यक्षः वह 25.08.1988 के लिए लगाया गया है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, व्यापरियों से सम्बन्धित फार्म 38 के बारें में मेरा एक काल अटैन् ान मो ान था उसका क्याय फेट है? अगर सम्बन्धित मंत्री महोदय उस बारें में अपने ब्यान दे दे तो हम उनके कृतज्ञ होगे।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब इसकेलिये सरकार से कमैट्स मांगे हुए है।

कामरोड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एक प्रिवलिज मो ान था, उस बारें में बता दीजिएगा क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः आपका मो ान विचारधीन है?

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मैने भी एक काल अटैन ान मो ान का नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्षः आलरेडी काल अटैन ान नं0 2 ओर 4 उसी सबजैक्ट पर ऐडमिटिड है। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री बलबरी सिंह चौधरीः धन्यवाद जी।

श्री कुन्दर लाल भाटियाः स्पीकरसाहब, 22 तारीख को फरीदाबाद की सफाई के बारें में मैने भी एक काल अटैन ान मो ान दियाथ उसके बारें में क्या फैसला हुआ?

श्री अध्यक्षः इस बारें में आपका कोई नोअिस नही आया है। आप कृपया बैठिए

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैने जीरी के भाव से संबधित एक काल अटैन ान मो ान का नोटिस दिया कि जीरी आजकल मार्किट में आने वाली है और सरकार ने इसका भाव केवल डेढ़ सौ रूपया पर/क्विंटल ही फिक्स किया है, जोकि बहुत थोड़ा है। उसके बारें में जरा बता दीजिएगा कि क्या किया गया है?

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, कब दिया था?

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, आज सुबह।

श्री अध्यक्षः इतनी जल्दल कैसे आ जायेगा? It must be under process of examination.

ध्यानकर्शण प्रस्ताव

हरियाणा राज्य में उग्रवादियों की गतिविधयों से लोगों में आंतक होने संबंधी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of Call Attention Motion No. 3 from Sh. Hira Nand Arya, M.L.A. regarding terror amongst the people due to terrorist activeites in Haryana State. I admit it. Sh. Hira Nand Arya, may read his notice and the Minister concerned my make a statement there after.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै इस माहन सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महतव के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में इन दिनों उग्रवादियेां की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। पंचकूला में दिनांक 12.8.1988 को बस में हुए बम विस्फोट की घटना जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा घायल हुए तथा जिला अम्बाला व कुरूक्षेत्र की ताजा घटनाओं से लोगों में भय का वातावरण पैदा हो गया है तथा वे बसों में यात्रा करने व सिनेमा आदि देखने से घबराने लगे है। सरकार को भाई चारे के वातावरण को और अधिक बिगड़ने से

रोकने जन–धन की हानि से बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए तथा इस संबंध में की गइ कार्यवाही से वह सदन को सूचित करें।

वक्तव्य

मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, श्री हीरा नन्द आर्य, एम0 एल0 ए0 ने प्रस्ताव द्वारा कहा है कि हरियाणा प्रांत में इन दिनों उग्रवादियों की गतिविधियों तेजी से बढ रही है। माअरखा 12.08.1988 को पंचकूला में बस में हुए बम धमाके की घटना जिसमें कई लोगों की मौत हुई तथा घायल हुए तथा अम्बाला जिला वे कुरूक्षेत्र की ताजा घटनाओं से लोगों में डर का वातावरण पैदा हो गया है तथा वे बसों में यात्रा करने ओर सिनेमा वगैरह देखने से घबराने लगे है। सरकार को भाई चारे से बचाने के लिये फौरी कार्यवाही करनी चाहिए। तथा वह इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से सदन को सूचित करे।

स्पीकर साहब, यह कहना गल्त है कि हरियाणा प्रांत में उग्रवाद की गतिविधियों बढ़ रही है। 1.1.1987 से लेकर अब तक कुल 8 मुकद्दमात रजिस्टार हुए हैं मोअरखा 7.7.1987 को गांव दरियापुर में उग्रवादियों ने हरियाणा राज्य की देा बसों में 34 बस यात्रियों को मार दिया ओर 21 को घायल कर दिया। एक कार चालक को भी मार दिया गया। 1.1.1988 को अज्ञात आतंकवादियों

ने मास्टर ि ाव प्रसाद एम0 एल0 ए0 पर अम्बाला भाहर में हमला किया जिसमें उनका नौकर मारा गया। 9.4.1988 को 5 आतंकवादियों ने डा0 हरनाम सिंह एम0 एल0 ए0 और उनके परिवार के मैम्बरान पर भााहबाद में उनके घर में हमला किया जिसमें इनका लड़ार, लड़के की बहु ओर इनके साले का लड़का मारे गए और इस घटना में पांच आदमी घायल हुए है। 08.05. 1988 को रात लगभग 11.30 बजे पानीपत मे आतंकवादियों ने 14 लोगो की हत्या कर दी ओर 25 घायल हुए। 19.06.1988 को दो अज्ञात आतंकवादियों ने कुरूक्षेत्र में रामायण सीरियल देख रहे 16 लोगों को बम धमाके से मार दिया और 29 को घायल कर दिया। 20.06.1988 की रात को चार आतंकवदियाने खु ावंत सिनेमा से बाहर आए लोगों पर गोलिया चलाई जिसमें 6 लोग मौके परमारे गए और 9 घायल हुए। 12.08.1988 को हरियाणा राज्य की बस चण्डीगढ़ से चलने के बाद करीब 5.45 बजे पुराने पंचकूला पहूंची, तो उसमें बम फटा। उसमे ंतीन लोग मारे गए और 32 घायल हुए। 13.08.1988 को एक बम हरियाणा राज्य की बस में पानीपत मे मिला। यह बस भी चण्डीगढ़ बस स्टैण्ड से 12.08.1988 को उसी वक्त चली थी जिव वक्त पंचकूला हादसा–ग्रस्त बस चण्डीगढ से चली थी। 14.08.1988 को सूचना मिली कि अमृतसरसे एक ट्रक नाजायज हथियार और गोला बारूछ लेकर दिल्ली जा रहा हैं पुलिस फौरन हरकत में आई। पुलिस ने सरगर्मी से पीछा करके ट्रक को राक लिया। उसमें से एक चाइनीज राइल, दो मैगजीन, 115 कारतूस, 38 बोर का पिस्तौल तथा हैंड गरनेड बराम किए। ये

हथियार दिल्ली में सप्लाई किए जाने थे। इसी प्रकार एक और ट्रक को भीरोका गया। जिसमें एक पिस्तौल तथा भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। हरियाणा पुलिस ने प्रांत में आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए काबले तारीफ काम किया है। लगभग सभी मुलाजिमों को पता लगा लिया हैं इनमं जिम्मेदार आतंकवादी या तो मुट्ठभेड में मारे गए है या गिरफ्तार कर लिए गए है। कोई भी आदतमी बाकी नही रहा। (थम्पिक) 78 लोगों को आतंकवादियों को पनाह देने के लिए गिरफ्तार किया हुआ हैं दस आतंकवादी, पांच हरियाणा पुलिस और पांच पंजाब पुलिस द्वारा पुलिस मुट्ठ भेड में मारे गए हैं काबिले तारीफ बात यह है कि हरियाणा पुलिस ने पंचकूला बम धमाके के जिम्मेदार आतंकवादियों की पहचान कर ली है, मगर उनके नाम बनाता केस के हित में हनी हें दरियापुर कांड के मामले में हमारी पुलिस ने यहां तक कि अपने जीवन को भयंकर खतरे में डाल कर 10/11.11.87 की रात को तीन खुंखार आतंकवादियों को पंजाब के खतरनाक इलाका मोगा से अचानक हमला करे दबोच लिया। इसी प्रकार 29/30.06. 88 की रात को हमारी बहादुर पुलिस ने समाना थाना, जिला पटियाला के गांव मुई सप्पा में पुख्ता खबर मिलने पर रेड़ किया जिसमें खुंखार उग्रवादी क ामीरा सिंह मारा गया और डा0 खु ावंत सिंह पुलिस की गोली से घायल हुआ और बच कर निकल गया। हरियाणा पुलिस के एक सब इस्पैक्अर श्री राम प्रका ा ने तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक सिपही श्री दौलत राम ने अपने राज्य व दे ा की आन व भान की खारि तथा राज्य

की पुलिस की बहादुरी की परम्परा को कायर रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। दो पुलिस मुलाजिम, एक ए0 एस0 आई0 श्री सुखबरी सिंह, हरियाणा पुलिस व एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का जवान जख्मी हुआ। इंस्पैक्अर सोरण सिंह, इंस्पैक्अर विशन सिंह ने 16.08.1988 को हमारी पुलिस के अव्बल दर्ज की बहादुरी तथा वीरता का पूरा सबूत दिया। खुफिया और पुख्ता पुलिस आधार पर कुरूक्षेत्र की खुंखार आतंकवादियों से गांव नीमवाला थाना पेहवा के पास मुठभेड हुई। यह आतंवादी जनरल आर0 एस0 दियाल के भाई को मारने के लिएआए थे। पुलिस ने दो आतंकवादियों को मौके परमार डाला जिनसें अंसलाव बारूद बरामद हुआ इनमें से एक का नाम गुरचरण सिंह वल्द अमर सिंह साकिन भााहबाद पाया गया जोकि हरियाणा प्रांत की खुद मुकररी एरिया कमाण्डर था और दूसरे की ि ानाख्त नही हुई। यह आतंकवादी हरियाणा की ज्यादातर आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेवाद था और डा0 हरनाम सिंह एम0 एल0 ए0 तथा उसके परिवार पर कातिलाना हमले में प्रमुख अपराधी था। 14.08.1988 को हमारी पुलिस ने एन0 आर0 एल0 पंजाब गुडज कारपोरे ान के दो ट्रकों के अमृतसर से काफी तादाद में आतंकवादियेां के लिए गोला बारूद ले जाते हुए पकड़ा। यह हथियार बारूद देहली में बहुत बड़ी तोड़ फोड़ की कार्यवाही के लिए ले जाया जा रहे थे। इस कार्यवाही में पुलिस ने सब से बड़ी चुस्ती और वतन धर्म की काबलियत को सबूत दिया। सरकार पूरी तरह जागरूक है ओर उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए ताकत में में आते ही सरकार

ने ठोस कदम उठाए हैं एक डी0 आई0 जी0, एक एस0 पी0 दो डी0 एस0 पी0 और चार कमाण्डर कम्पनी तैयार की गई हैं दो हमार पुलिस कर्मचारियों की पुलिस विभाग नमें नई असामियों मंजूर की गई । भारत सरकार को मदद के लिए लिखा गया। 50 लाख रूपए की ग्रांट भारत सरकार ने दी जिससे काफी तादाद में गाड़िया खरीदी गई। पांच कम्पनिया बी0 एस0 एफ0 और सी0 आर0 पी0 एफ0 और 6 कम्पनियां गुजरात आर्मड पुलिस को इकट्ठा करक तैनात किया गया। राज्य में ग त म ाकूक जगहों की सुरक्षा तथा खुफिया विभाग को मजबूत कर दियागया हैं रेल तथा बसों के अन्दर असला पुलिस दस्ते भेजे जा रहे है। वी0 अवई0 पीज0 की हिफाजत के लिए मुनासिब इन्तजाम किए गए हैं इस सिलसिले में हमारी पुलिस से बहादुरी का एक सबूत यह मिला है कि हमारे अभी काल ही में सिरसा में लोक सभा के लिए चुने एग श्री हेतराम एम0 पी0 बस में जा रहे थे और किसी ने ड्राईवर के सिर पर पिस्तौल रख करके बस को लिक रोड़ पर ले जाने के लिए कहां लेकिन हमारी पुलिस इतनी चौकत्री है कि उसको वही पर जख्मी कर दिया और गिरफ्तार कर लिया। मै आकपे सामने बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारेयहां जितनी भी आतंकवादी वारदाते हुई है इनमें या तो इस तरह की बारदात करने वाले मारे गए या हमारी गिरफ्त में है। हमारी पुलिस इतनी चौकत्री है कि इस समय हरियाणा में कही पर भी भय का नामो–नि ाान नही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, आरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने हरियाणा प्रदे ा में आतंकवादियों की भड़क को रोकने के लिए की गई कार्यवाही क बारें में बड़े विस्तार से बताया है। मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से इस विशय में जिस प्रकार की उनसे सहायता मांगी गई थी, क्या उसके अनुरूप सहायता दी गई और दी जा रही है या उसमें कुछ ढील बरती जा रही है? अगर केन्द्रीय सरकार उसमे ंकुछ ढील बरत रही है तो उसके लिए हमारी सरकार औरक्या खतोकिताबत कर रही है?

चौधरी देवी लालः अध्यक्ष महोदय, हमारी तरह से पूरी कोि ा ा की जा रही जहै कि केन्द्रीय सरकार से इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद ली जाए। इस बात के लिए केन्द्रीय सरकार पर बार–बार जोर डाला जा रहा हैं मुझ उम्मीद है कि यदि केन्द्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा में हालात को सुधारना चाहती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा मदद देगी।

(ii) राजस्व मंत्री द्वारा हरियाणा में वर्शा तथा बाढ़ से फसल तथा सम्पति को क्षति होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, श्री हीरा नन्द आर्य एम0 एल0 ए0 की कालिग अटै ान मो ान नं0 2 और श्री हरनाम सिंह, एम0 एल0 ए0 का कालिग अटै ान मो ान नं0 4 (2 के साथ ब्रेकेटिड) जो डैमेज आफ क्रोप्स एंड प्रौपटी इन हरियाणा वाई

रेन्ज एंड बाढ के बारें में थी, प कल रैवेन्यू मिनिस्अर साहब ने आज अपनी स्टेटमैंट देने के लिए कहा था। वे कृपया अपनी स्टेटमैट दे।

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्श के अपूर्व सूखे के प चात इस वर्श मौनसून की वर्शा अच्छी हुई है यद्यपि समय पर मौनसून आ जाने का कृशकों द्वारा सारे राज्य में स्वागत किया गया था अपितु भारी वर्शा के कारण मुख्यतः राज्य के 8 जिलां नामतः अम्बाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, जींद सिरसा, टांगरी तथा मारकण्डा नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्शा से इन नदियों को बहाव बढ़ गया। टांगरी बन्ध में तीन स्थानों पर कटाव आने से अम्बाला व कुरूक्षेत्र जिलों के काफी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। इसी प्रकार पंजाब क्षेत्र मं घग्गर बांध के कटाव से जिला कुरूक्षेत्र तथा हिसार के बहुत से क्षेत्र बाढ़ आ गई। पंजाब में पच्चीस धारा के किनारों में कटाव के कारण एस0 वाई0 एल0 में बाढ़ का पानी आया, जससे यह नहर 2 स्थानों पर टूटी और अम्बाला व कुरूक्षेत्र जिलों के काफी गांव जलमग्न हो गये। थानेसर भाहर की कुछ आबादी भी प्रभावित हुई। यमुना नदी द्वारा रूख बदलने पर करनाल जिले में पीरबरोली गांव की सारी आबादी बह गई। कुरूक्षेत्र, सोनीपत व फरीदाबाद के जिलों की कुछ आबादी प्रभावित हुई। सूरजपूर के नजदीक राश्ट्रीय जनमार्ग पर झाजरा नदी का पुल क्षतिग्रस्त हुआ तथा यातायात को चालू रखने हेतू बैली ब्रिज बनाने के लिए सैनिक सहायता प्राप्त की गई। इसी

प्रकार कुरूक्षेत्र जिलें में एस0 वाई0 एल0 में आये कटाव को भरने के लिए तथा कुरूक्षेत्र, हिसार व फरीदाबाद जिलों में जल–मग्न क्षेत्रों से व्यक्तियों, उनके प ाुओं तथा उनके अन्य सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिये भी सैनिक सहायता प्राप्त की गई। बाढ़ के पानी को निकालने तथा कटावों को भरने हेतु प्रभावी पग उठाये गये।

2. प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार लगभग 90000 हैक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुए और फसलों को लगभग 50 करोड़ रूपये की रा ि ा की हानि का अनुमान है। वि ोश गिरदारी के आदे ा दिये जा चुके हैं और उसके परिणाम प्रतीक्षित हैं जन सेवाएं जैसे सड़के, पुल सिचाई जन स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि का नुकसान 20.94 करोड़ रूपये हुआ हैं लगभग 30000 कच्चे व पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं बाढ़ के पानी के नलकूपों को भी नुक्सान पहुंचा हैं जिसका अन्दाजा लगाया जा रहा है।

3. इस वर्शा ऋतु में पीलिये के 367 केस हुए जिनमें से 227 मामले सिरसा जिले में हुए है। सिरसा जिले में पीलिया के अधिक केस होने का कारण सिवरजि पाईप लीक होना है जिसके कारण पीने का पानी दूशित हो गयारू। जुलाई, 1988 में मलेरिया के 475 मामले सामने आये। जुलाई 1988 से अब तक हैजा के 52 केस जिन में 2 की मृत्यु हो गई तथा 1634 केस जिन में से 39 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन बीमारियों को रोकने के लिये

आव यक उपाये किये गये है। प ाुओं मे ंकिसी बीमारी के उत्पन्न होने की कोई सूचना नही है।

4. बाढ़ से प्रभावित समस्याओं से राज्य सरकार भली–भांति जागरूक है। राज्यपाल हरियाणा तथा मुख्य मंत्री हरियाणा ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किय है तथा विभागीय अधिकारी भी खतरें वाले सभी स्थानों पर लगातार निगाह रखे हुए है। राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिये तुरन्त आव यक कदम उठाये हैं और इसी उद्दे य के लिये 305.75 लाख रूपये स्वीकृत किये है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	उद्दे य तथा जिसको रा ि ा स्वीकृत की गई थी	रा ि ा (रू0 लाखो में)
1.	सुरक्षित स्थानो ंपर पहुंचाने, आश्रय देने, खाना, चारा तथा रिग बन्ध को मैनटेन करने के लिए उपायुक्तों को	79.40
2.	जल निकासी, किनारों तथा ड्रैनेज की मुरम्मत एवं पुनः चालू करने के लिये सिंचाई विभाग को	95.00
3.	पम्प सैट, भाहरों में जल निकासी तथा पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्पो ं के लिये जन	36.00

	स्वास्थ्य विभाग को	
4.	सड़कों की मुरम्मत के लिये लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के भााखा) को	90.00
5.	स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सेवाओं के लिये	5.00
	कुल जोड़	305.75

बाढ तथा भारी व र्ा से जिन 17 व्यक्तियों की मृत्यु बाद के पानी मे डूबने तथा मकानो ंके गिरने के कारण हुई है, के नजदीकी रि तेदारों को मुख्य मंत्री सहायता कोश से 10000 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से दिये गये हैं बाढ़ के दौरान 62 प ाुओं की मृत्यु भी हुई है।

बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को आव यक सहायता प्रदान करने के लिये 16 सहायता कैम्प्स तथा 74 स्वास्थ्य कैम्प्स लगाये गये हैं तथा जल–मग्न क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया हैं कैम्पों कमे ंरह रहे व्यकितयों को बना हुआ खाना तथा अन्य प्रभावित जनसंख्या को सस्तें दर पर रा ान तथा प ाुओं के लिये मुक्त चारा भी उपलब्ध किया गया। अब तक 3188 सिरकीज, 35000 खाली सीमेन्ट बैग, 477 क्विटल आटा, 13 क्विटल चने तथा 3.5 क्विटल दाल बांटी गई। इसके अतिरिक्त 40000 रूपये की अन्य आव यक सामग्री भी बांटी गई। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के कार्य प्राथमिकता के आधार पर चालू करने के लिये आव यक हिदायतें जारी की गई है। बाढ़ ग्रस्त

क्षेत्रों में पुनः फसल बोने हेतु धान की फसल के लिए फासफैटिग खाद पर 20 प्रति ात छूट दी जायेगी। कृशकों को अगली रबी फसल बोने हेतु काफी इनपुट सबसिडी दी जायेगी। 6 वर्श से कम आयु वाले बच्चों व गर्भवती तथा दूध पिलानी वाली माताओं के लिये अनुपूरक पौश्टिक आहार भी प्रदान किया जायेगा। मनु यों तथा प ाुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के रोकथाम के उपाये जारी रहेगे। कृशक समाज के दुखों को दूर करने के लिये अल्प अवधि वाले सहाकारी ऋणों को लघु अवधि ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि बाढ़ से जो नलकूप खराब हो जायेगे उनसे बिजली का खर्चा उस अवधि के लिये नही लिया जायेगा जिस अवधि के दौरान ये नलकूप कार्य नही करेगे।

इसलिए केन्द्रीय सरकार को 20.00 करोड़ रूपये की तदर्थ केन्द्रीय सहायता तुरन्तत प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया है तथा82.13 करोड़ रूप्ये के अनुमानित नुकसान का विवरण भी भारत सरकार को दिनांक 17.08.1988 को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक विस्तृत ज्ञापन भारत सरकार को भीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

मै इस अवसर पर सदन का वि वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित जनता की कठिनाईयों को दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ से प्रभावित लोगों की परे ाानियों को मिटाने के लिये सरकार ने जो कदम उठाए है उनके बारें में मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। मै मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ राहत कार्यो के लिए केन्द्रीय सरकार से कितने पैसे का प्रावधान करवा रहे है ओर जो 20 करोड़ रूपये की रा ि ा की मांग केन्द्र सरकार से की गई है उसका क्या आधार है? जहां तक मै समझता हूं बाढ़ राहत कार्ये के लिए 20 करोड़ रूपये की रा ि ा बहुत की कम आंकी है। मै मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने उसका कोई जवाब दिया है या कि नही, यदि नही तो इसके लिए हमारी सरकार क्या पग उठा रही है?

श्री सूरज भानः इस बारें में हमने चार तारीख को केन्द्र सरकारको एक टेलीग्राम दिया हैं इसके साथ ही साथ स्पै ाल गिरदावरी के आदे ा भी दिए गए है। गिरदावरी के बादही नुकसान का पता चल सकेगा। जहां तक 20 करोड़ रूपये की रा ि ा केन्द्र से मांगने का सम्बन्ध है, यह रा ि ा तदर्थ तौर पर मांगी गइ है। और गिरदावरी के बाद ही केन्द्रीय सरकार से वाछित रा ि ा की मांग की जा सकेगी।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र और करनाल जिलों में जब भी बाढ आती है, तो उससे बहुत नुक्सान होता है। बरसात से पहले इन जिलों में वाटर लेवल 50–50 ओर 60–60 फुट नीचे चला जाता है। जिसके लिए किसानो ंको

टयूबवैलों के लिए कुए बनाने पड़ते हैं यक कुंए 50–60 फुट की गहराई तक खोदने पड़ते है? जब बाढ़ आती है तो इन कुंओं में जहरीली गैस बन जाती है जिसके फलस्वरूप बाढ़ के कारण कुओं ` जहरीली गैस से अनेकों आदमी इन दोनों जिलों में मर गये है। अध्यक्ष महोदय, मै मत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन जिलों में भविश्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, इस बारें मे एक क्वै चन है, इसका डिटैल रिप्लाई उस दिन दे देगे।

श्री भाग मलः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा मंत्री महोदय से जाननाचाहता हूं कि मारकन्डा नदी के किनारे और रूहन नदी के किनारे हमारे दो तीन गांव है जैसे संगरहनी, मियांपुर और छोटी रसोल उन्हें खाली करने के आदे ा दइे दिये गये हैं वहां पर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ रहा हैं जब हमने डी0 सी0 साहब को अप्रोच किया कि इन गांवों केा बचाने के लिये कुछ उपाय किये जाये तो उनहोने जवाब दिया कि हमारे पास पैसा नही है। क्या डी0 सी0 अम्बाला को पैसा दे कर उनगांवों को बचाने की कोि ाश की जायेगी क्योंकि उन गांवों में लाखों रूपये के मकान बनाये हुए है, अगर वे गिर गये तो दुबारा नही बनाये जा सकेगे।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, कल श्री भाग मल जी ने हाउस में जिक्र किया था कि रोहन नदी पवर मियांपरु और

संगरहनी गांवों को खतरा है। मियांपुर गांव में स्टै को काम भुरू हो चुका है, वहां पर काम बाढ के कारण रोका गया था लेकिन अब लगातार चल रहा है। संगरहनी का काम देखने के लिए एस0 डी0 एम0 को आदे ा दे दिये है। मारकण्डा के नीचे दो गांव आते है एक चमेल माजरा और दूसरा छोटा रसोल। जहां तक चमेल माजरे का संबधं है वहां पर ऐम्बैकमेंट प्रोजैक्ट सैक ान हो चुकी है। बरसात के बाद काम भु कर दिया जायेगा और छोटी रसोल के बारें में रिपोर्ट मांगी हैं

श्री हरनाम सिंहः मै इस बात से सहमत नही हूं कि हमारा बाढ कन्ट्रोल सिस्टम फेल नही हुआ। मै आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं। टांगरी बांध टूटा, बीबीपुर झील का बांध तीन बार टूटा है ओर लोगों ने बान्धा है। सरस्वती ड्रेन टूटी हैं और हमारे लेबर मिनिस्टर के गांव के साथ हिसार रोड का बान्ध रहे है। यानी बाढ़ ने काफी जगहों पर नुकसान किया है। दूसरीबात यह है कि जितना इन्होने नुकसान बताया है, वह बहुत कम बताया हैं इन्होने 566 गांवों को नुकसान बताया है जब कि अकेले कुरूक्षेत्र जिले मे ंऐग्रीकलचर डिपार्टमैंट ने रिपोर्ट दी है कि 378 गांवों में 75 हजार एकड़ जमीन में जीरी का नुकसान हुआ हैं जो नुकसान आंका गयाहै, यह बहुत कम आंका गया हैं आपको पता ही हैं कि सूरजपुर का हमारा पुल बह गया। इसलिए मेरी गुजारि है कि इस पर बहस होनी चाहिएं राहत के कामों का यहां पर जिक्र तक नही किया गया है। काम के बदले अनाज की

स्कीम चालू किया जाना चाहिए। लेकिन इस बारें में यहां पर कोई जिक्र नही किया गया।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, मैने अपने जवाब में कहा है कि यह अन्दाजा है। हमने स्पै ाल गिरदावरी के आदे ा दिये हुए है, उसके बाद ही ठीक अन्दाजा लगेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मुझे बड़ा खेद है कि मेरी काल टिन्न ान मो ान का जवाब नही दिया गया। वह बड़ी स्पैसिफिक थी। (विध्न)

श्री अध्यक्षः आप इसके बारें में सप्लीमेंटरी कर सकते है, भाशण नही दे सकते।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब मिनिस्टर महोदय ने मेरी काल अटैन्शन मो ान्न का कोई जवाब नही दिया।

श्री अध्यक्षः आपकी काल अटैन्न ान मो ान होने के कारण ही आपकों सप्लीमैंटरी करने की इजाजत दी गई हैं

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, जितना बाढ़ मेरे इलाके में आया उतना और कही भी हिन्दुस्तान में नही आया है। (विध्न) सर, मै यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी काल अटैन्न ान को आपके आफिस वालों ने पूरा पढ़ा नही। (विध्न)

श्री अध्यक्षः यह बड़ी अनफारच्यूनेट बात है। आपकों प्रोसीजर का पता ही नही हैं अगर आपको प्रोसीजर का पता होता हाते आप यहां हाउस में यह बात न करते। आप सवाल करें।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः मै आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्र जी को मालूम है कि कितनी बार घग्गर, टांगरी और मारकण्डा में उफान आया और वह सारा का सारा खनौरी हैड से ही कर हिसार जिले में जाता रहा?

श्री अध्यक्षः आप सप्लीमैटरी करे।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः मै यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस बार कितनी बार बाढ़ आयी और उस बाढ़ का सारा पानी फतेहाबाद के आस–पास 40 गांवों में जो मेरे हल्के में पड़ते है,भर गया था और इस वक्त भी 5–6 गांवों में जो रतियां हल्के में है, 5 से लेकर 10 फुट तक पानी खड़ा हुआ है।, जबकि हिन्दुस्तान में कही पर बाढ़ का पानी नही खड़ा है?

श्री अध्यक्षः यह भाशण है या सवल है? आप सीधा या सवाल पूछे! (व्यवधान व भाोर)

श्री बलबीर सिंह चौधरीः मै इनसे यह जानना चाहता हूं कि उसके लिये इन्होने अब तक क्या कार्यवाही की हैत्र मंत्री महोदय इस बात की इन्कवायरी करायेगे कि प्र ाासन की

लापरवाही की वजह से क्या इन गांवों में बाढ़ के कारण इतना भारी नुक्सान हुआ है? (विध्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी बलबीर सिंह जी, अब आप बैठिये। This is not the way.

श्री बलबीर सिंह चौधरीः इस बाढ़ से जो लोगों का नुक्सान हुआ है, क्या उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी? (Interruption & Noise)

Mr. Speaker: I won't allow you. Please sit down. You are not permitted to speak.

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, * * * *

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, मुझे सारी जानकारी है। केवल मुझ जानकारी नही नही, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी भी मौके पर जाकर देख आये हैं पानी का पम्प आउट किया जा रहा है।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब एक मिनिस्टर मूव करेगे कि हरियाणा विधानसभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैसके रूल 30 को सस्पैड किया जाये और थर्सडे 25 अगस्त, 1988 को सरकारी कात किया जाये।

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh): Sir, I beg to move-

That rule 30 of the rules of procedure of and conduct of Business inthe Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 25th August, 1988.

Mr. Speaker: Motion movied-

कि हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस के रूल 30 को सस्पैड किया जाये और थर्सथे 25 अगस्त, 1988 को सरकारी काम किया जाये।

श्री रधु यादवः स्पीकर साहब, मै एक निवेदन करना चाहता हूं। सामान्य प्रक्रियो के अनुरूप हमें, जो इस महान सदन के सदस्य है, बृहस्पतिवार के दिन अपने गैर सरकारी संकल्प सदन के सम्मुख रखने का अवसर मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे माननीय सदस्य चौधरी रणजीत सिंह का गैर सरकारी संकल्प, जो कन्साईनमैंट टैक्स के बारें में था, सदन के सम्मुख बहस के लिएये प्रस्तुत है और एक संकल्प मैं भी एक साल से यहां पर लानपे की कोि ा ा कर रहा हूं। मैने उसका नोटिस दिया हुआ है।

श्री अध्यक्षः अभी तक पहला रैजोल्यू ान ही चल रहा हैं आपका तो चला ही नही हैं

श्री रघु यादवः हरियाणा प्रांत में रीजनल इम्बैलैंस को दूर करने के लिये अहीरवाल डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया जाये, मैने उस बारें में एक गैर–सरकारी संकल्प आपकी सेवा में प्रस्तुत किया हुआ हैं।

श्री अध्यक्षः बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट जो ऐप्रूव आप कर चुके हो।

श्री रघु यादवः इस मौके पर मै माननयी संसदीय कार्य मंत्री जे से केवल गुजारि ा करना चाहूंगा कि वे कल गैर सरकारी बिजनैस चलने दें ओर मेरा अहीरवाल डिवैल्पमैंट बोर्ड वाला गैर–सरकारी संकल्प सदन के सामने बहस हेतु आने दे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, यह जो माननीय सदस्य रघु यादव जी बो रहे थे, यह भाायद इसबात को भूल गये कि 22 तारीख को बजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी थी। उस दिन भी यह ये एक भाब्भी नही बोल। जहां तक इनके प्रस्ताव का ताल्लुक है, यह प्रस्ताव कैसे आयेगा? अभी तो पिछला प्रस्ताव पैडिंग है। नैक्स्ट सै ान में या अगर इसी सै ान में अगर कोईअगला वीरवार आया तो उस पर डिस्क ान जारी रहेगी। जो इन माननीय सदस्य को रैजोल्यू ान है, वह तो अभी नजदीक और पास भी नही है। लजेकिन यह बार–बार उसकी चर्चा करत रहते है। वह तो अभी करीब ही नही हैं पता नही उकस नम्बर आये या न आये। अगर

और रैज्योलू ान आ जोय तो फिर उनकी बैल्टिंग होगी। इसलिये उनका जो वह प्वायंट है, यह बैलिड नही है।

Mr. Speaker: Question is-

कि हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस के रूल 30 को सस्पैड किया जाये और थर्सथे 25 अगस्त, 1988 को सरकारी काम किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब आनरेबल मिनिस्टर टेबल आफ दि हाउस पर पेपर ले करेगें।

Irrigaton & Power Minister (Sh.Verender Singh): Sir, I lay on the table the Excise and Taxation Department Notification no. G.S.R. 38/H.A. 20/73/S. 64/Amd. (1)/88 dated the 30th April, 1988 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

बिल्ज

(i) दि हरियाणा ऐप्राप्रिए ान (नं0 3) बिल, 1988

श्री अध्यक्षः अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 3) बिल, 1988 को इंट्रोड्यूस करेगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेगे।

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा विनियोग (सं0 3) विधेयक, 1988 को प्रस्तुत करता हूं।

मै यह भी प्रस्ताव करता हूं

कि हरियाणा विनियोग (सं0 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Queston is-

That schedule be the schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा मुड कंडक्ट प्रिजनर्ज (टैम्पोरेरी रिलीज) बिल, 1988

श्री अध्यक्षः अब स्टेट मिनिस्टर फार सो ाल वैलफेयर एण्ड जेल्ज दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्ज (टैम्पोरेरी रिलीज) बिल, 1988 को इंट्रोड्यूस करेगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेगे।

Minster of state for Jails (Sh. Nar Singh Dhanda): Sir I introduce the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill, 1988.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Good Conductuct Prisoners (Temporary Release) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Good Conduct Prisonfer (Temporary Release) Bill be taken into consideration at once.

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सम्मुख समाज कल्याण तथा जेल मंत्री श्री नर सिंह ढांड़ा ने अभी एक सं ाोधन विधेयक प्रस्तुत किय हैं (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) यह सं ाोधन विधेयक आज इस महान सदन के सम्माननीय सदस्यों की जेल की चार दीवारी के भीतर दुनिया में झाकनें का मौका देता है। जिसकों सामान्य तौर पर देखा नही जाता। उपाध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति के मन में कई बार ऐसी भावना उठती ह। कि जिससे वह अपराध कर सकता है। कुछ लोग उन भावनाओं परकाबू पा लेते है और कई बार भवावे ा में किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में ऐसाकाम भी हो जाता है कि जो कानून की दृश्टि में अपराध है और जिसके लिए उसे दण्ड दिया जाना जरूरी हो जाता है ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। जेल के भीतर, चार दीवारी में, उस व्यक्ति को सुधारने का प्रयास होना चाहिए न कि उसके दमन का प्रयाय होना चहिए। यह एक मानव है। एक गल्ती उसने की है। भविश्य में वह ऐसी गल्ती न करे, समाज में कोई और उसतरह का व्यवहार और उस तरह की गल्ती न करें, इसलिए जेल के दण्ड का प्रावधान होता है। खेद की बात है कि आज भी ब्रिटि ा काल के दौरान जो जेल मैनुअल बनया गया थ ावही सभी जोलों में लागू है। उसी के अन्तर्गत कई व्यक्ति जेल की सलाखों के भीतर रहे है। डिप्टी स्पीकरसाहब, आप भी संघशर्ो से गुजरे हुए व्यक्ति है और मुझ खु ाी है। कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल भल जनता के लिये संघर्श करते हुए कई बार जेल की दीवारों के भीतर रहे हे। अज

जो सरकारहरियाणा पर भाासन कर रही है, उ सरकार के कर्णधारी में से बहुत से लोग जेल की चार दीवारी के भीतर कुछ समय व्यतीत कर चुके है। यह जो सं ाोधन विधेयक इस समय सदन के सम्मुख बहस के लिए प्रस्तुत है, उसका मै भरपूर स्वागत और समर्थन करता हू। साथ ही मै समाज कल्याण मंत्री महोदय ये यह निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति अपराध करता है कानून तोड़ता है केवल उसको सजा मिलनी चाहिए। यह नी होना चहिये कि जुल्म कोई करें और उसकी सजा कोई और भी भुगते। यह न्याय का और एक सभ्य समजा का तकाजा नही हैं अगर एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है तो यह जुल्म है ओर उसकों कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है उसके बच्चे, पत्नी और बूढे मां बाप भी होते है जो उसकी कमाई पर निर्भर हाते है। मै खुद भी जेल में रहा हूं। भजन लाल और चौधरी बंसी लाल के भाासन के दौरान हरियाणा की जनता के हितों की रक्षा के लिय, हम रात दिन सड़कों पर आदोंलन करत रहे है। उस समय हम पर झूठे मुकदमें बनाये जाते थे और हमें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। 17 जून, 1987 को जो ऐतिहासिक फैसला हरियाणा की जनता ने दिया, उससे कुछ दिन पूर्व ही मै स्वयं महेन्द्रगढ़ की जेल में 70 दिनों तक बन्द रहा हूं। मुझ पर यह आरोप था कि मैने एक तहसीलदार की हत्या के प्रयास की साजि ा की थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते है क्योंकि आपेन भी संघर्श किया था कि चौधरी भजन लाल व चौधरी बंसी लाल के राज में भ्रश्टाचार विरोधी अभियान

चलाया था। जब विजीलैन्स के छापे मे ंरि वत लेते रंगे हाथों पकड़े जानें के बावजूद भी सरकार एक भ्रश्ट तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करने में आनाकानी करने लगी, जब मुख्य मंत्री और उस वक्त के रेवाड़ी से सम्बन्धित मंत्री भ्रश्ट अधिकारी की पनाह देने लगे तब जनता ने मजबूर होकर चेतावानी देने के बाद सरकार का पूरा समय देने के बाद उस भ्रश्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की थी। बजाये उस भ्रश्ट अधिकारी को सजादेने के उल्हा हम पर 307 का झूठा और मनघड़ैत केस बना कर हमें जेल की सलाखों कके पीछे डाल दियागया। तब मैने 70 दिनों का कारावासा भोगा था इससे पहले भी स्वर्गीय जय प्रका ा नारायण के संघर्श के दौरान, औश्रचौध्णरी देवी लाल जी के नेतृत्व में चले संघर्श के दौरान चाहे रास्ता रोकों का सिलसिला रहाहे अथवा ताना ााह मुख्य मंत्री बंसी लाल को उखाड़ फैकने का सवाल रीहा हो, हमने उस वक्त भी सलाखों के पीछे का जीवन देखा। मै यकह कहनाचाहता हूं कि कई बादऐसे व्यक्ति भी हत्या कर देता है, कई बाद ऐसा व्यक्ति भी जुल्म कर देता है जिसके ऊपर उसे बूढे मां बाप, भाई–बहन दर दर की ठोरके खाने के लिये मजबूर हेा जते हैं उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति वि ोश हत्याराह हो सकता है, व्यक्ति वि ोश अपराधी हो सकता है लेकिन उसके बच्चे, पत्नी व बूढे मां बाप भी अपराधी ही हो ऐसा नही होतौं इसलिये मै जेल मंत्री महोदयश से यह गुजारि ा करूंगा कि जेल में दंड भोग रहे अपराधी जो काम करते है, उन्हें उस काम की जो न्यूनतम मजदूरी बनती है, हमे देनी चहिए। चाहे टाट बनाने का काम हो, चाहे

निवार या कम्बल बनाने का काम हो, जो भी काम सजा भोग रहे कैदियों से, अपराधियों से हम करवाए, उस का पूरा पूरा भुगतान, कम से कम जो न्यूनतम वेतन की दर होती है, उतना अव य करना चाहिये। और यदि कोई कैदी अपनी परिवारिक स्थिति को देख कर ज्यादा काम करना चाहे तों एक सीमा के बाद जो काम के माप का पैमाना है या आठ घंटे के काम की सीमा का पैमाना हो, उस समय के बाद अगर कोई कैदी काम करता है तो उसे भी ओवर टाइम की तरह कुछ ज्यादा पारिश्रमिक दिया जाए। उसमें से एक हिस्सा वि ोश ता वह कैदी अपनी जेल की कैन्टीन में खर्च कर कसे लकिन उकस कम से कम दो तिहाई हिस्सा उसकी पत्नी को किले। अगर उसी पत्नी न हो बूढे माता पिता ाी मिले। पत्नी ओर बूढे माता पिता न हो तो उस परि आश्रित बच्चों को दिया जाए। (विध्न) उपाध्यक्ष महोदय अपराधी एक व्यक्ति हो सकता है, सजा उसी व्यकित को ही मिलनी चाहिए, उसे परिवार के सदस्यों को नही मिलनती चाहिए। एक बात का जिक्र मैने कई बार किया है और सरकार ने हर बाल जवाब दिया है कि हम देख रहे है, हमने देखा है, हम देखते रहेगे। मैने वाहनों के दुरूपयोग और घरेलू नौकरों के रूप में छोंटे कर्मचारियों के इस्तेमाल के बारें में कहा हैं सरकारी अधिकारी अपने घरों में घरेलू नैकरों को बेजा इस्तेमाल करते हैं उस बारें में माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम कुछ करते रहे है, हम कर रहे हहै ओर हम करते रहेगे। जो जेल के अधीक्षक और उप अधीक्षक होते है वे कैदियों को अपने घरों में घरेलू काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कैदी उनकी

भैंस की सानी लगाते है। है आउसे घर की सफाई और अन्य सारा काम करते है। ये सारे काम नाजायज रूप से उन कैदियों से करवाए जात है। मै माननीय समाज कल्याण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसकों एकदम से रोका जाए। दूसीर बात, मुझे यह कहते हुए भी बडत्री खु ाी हो रही है। चौधरी देवी लाल जी जेल में सुवधिाओं बेहतर बनाने के पक्ष में है वे चहाते ह कि जेलों के कमरों में पंखे हो और टॉयलेट व बाथरूप का ठीक इंतजाम हो। इस बात को चौधरी देवी लाल हमे ा कहते रहे है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तब ही मैने मुख्य मंत्री जी का ध्यान महेन्द्रगढ जेल में पंख लगाने की ओर दिलाया था। वहां पर पंखे नगे हुए है लेकन वे खराब है। इसलिए पंखे होते हुए भी गर्मी में कैदियों को सड़ना पड़ता हैं जिस बैरक के अन्दर सजा पाए हुए कैदियों को रखा जाता है उस बैरक में भौचालय नही है। कैदी को भााम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बैरक में बन्द रहना पड़ता हैं उस दौरान अगर किसी को हाजत हो जाए तो पाखाना न होने की वजह से उसको बरामदे में भौच करना पड़ता है। वहां पर ारे बदबू के नाम सड़ जाती हैं वहां टॉयलैट बनाने की बात पांच साल से ची रही है। मुझे खु ाी है कि जब मैन चौधरी देवी लाल से, उनकी सरकार बनने के बाद, यह मांग की थी तो तत्काल उन्होने आदे ा दिए थे कि पंखे ठीक करवा दिए जाएं ओर पाखाना भी बना दिया जाएं। लेकिन मुझ ह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कि उनके आदे ा का आज तक भी पालन नही किया गया है। आज तक वहां पर पंख दुरूस्त नही हुए है और न ही वह

भौचालय बनाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुडगावां और फरीदाबाद की एक ही जेल है और वह जेल पुराने अस्तबल में चल रही है। उस जेल में जितने कैदियों के रहने की व्यवस्थ है उससे कही ज्यादा रह रहे है। इसलिए मै कहना चाहूंगा कि गुडगावां और फरीदाबाद के लिए अलग–अलग जेल बनाई जाएं। फरीदाबाद में कोई जेल नही है, फरीदाबाद के कैदी गुडगावां की जूल में रखे जाते है। गुडगावां की जेल सोहना बस अड्ड़े के अपोजिट बनाई हुई हैं अगर उस जगह को बेच दिया जाए, उस जमीन को औक ान कर दिया जाए तो उससे सरकार को करोड़ों रूपए मिल सकत है और जेल किसी दूसरी जगह पर बनाई जा सकती है। जो पैस उस जमीन को औक ान करने पर सरकार को मिलेगा उस पैसे से फरीदाबाद और गुडगांवा के लिए नई जेल का निर्माण हो सकता है ओर उनमें अच्छे भौचालय बनाए जा सकते है तथा अन्य सुविधाएं भी दी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मै समाज कल्याण मंत्री द्वारा पे ा किए गए इस सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) सं ाोधन विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं। अन्त में मै एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो कैदी उनके काम को मेहनताना ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि उनके परिवार को कोई कश्ट न भोगना पड़। जिन जेलों में स्थिति खराब है, उसको सुधारा जाए और साथ ही नई जेलों का निर्माण किया जाए। कैदियों से जो अधिकारी और कर्मचारी अपने घरों में नाजायज तौर पर काम करवाते है, उसको रोका जाए। सरकार मेरी इन बातों की तरफ

ध्यान देगी। इस आ ाा के साथ मे इस सं ाोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) विधेयक, 1988 प्रस्तुत किया गया हैं इससे पहले पंजाब सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) विधेयक, 1962 के तहत जो कैदीजेलों में होते थे, उनको सुविधाएं देने के लिए फरलों पर छुट्टी भेजने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था थी, वह था। लेकिन हमारी सरकार ने यह समझा और वास्तव में यह जरूरी भी था कि उसमें कुछऔर बातें भाामिल की जाएं क्योंकि समय के अनुसार परिस्थितियां बदली है। चाहे सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक हो, परिस्थितियां बदलती है। इस प्रकार से बदलती हुई परिस्थितियायें में मै यह कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री श्री नहर सिंह ढांडा ने यह जो सं ाोधन विधयेक सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून की निगह में काइ जुर्म कर दें, तो उसकों समाज मिलनी ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सजिा मिल भी जाए तो सजा मिलने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मानवता समाप्त कर दी जाए तो यह मानवता के प्रति एक अपराध जैसी बात होती है। यदि किसी व्यक्ति को सजा हो भी जाती है तो सजा भुगतने के दौरान उसके कुछ सामाजिक रि ते भी होते है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां भ्ज्ञी होती है और उसकी आर्थिक परिस्थितियां भी होती है। इसदुनियादारी में उससे

संबंधित व्यक्तियों को, केवल उसको ही नही, उसके परिवार से संबंधित जो लोग है, उन लोगो ंको भी एक प्रकार से सजा हो जाती है। जिस व्यक्ति को सजा मिलती है, वह उसको ंपूरी भुगतेगा लेकिन अगर उसका आचरण ठीक हो, उसका सदाचार ठीक हो तो उस विशय में यह जरूर देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसके लिए फरलो छुट्टी देने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर उसके परिवार में केवल वही व्यक्ति काम करने वाला हो तो उसको फसल काटने के टाईम पर या फसल की बुआई के टाईम पर फरलो पर टैम्पोरेरी छुट्टी दे दी जाए। कई बार ऐसी बात होती है कि जो व्यक्ति जेल में होता है, उसकी पत्नी य उसके बच्चे या खुद यदि बीमार हो जाए तो उसके लिए बहुत परे ाानी हो जाती है। जेल की परिस्थितयों के बारैं में आपको पता है कि किस प्रकार की होती है। जो लोग जेलों में रहे है, उनकों पता है कि चार दीवारी के अन्दर रहना कितना भयंकर काम होता है और जो लोग जेल मे रहे है, उनको भाारीरिक ही नही बल्कि मानसिंक यातनाएं भी बहुत होती हैं जिस व्यक्ति को हेाती है, केवल वही व्यक्ति इस बारें में जान सकता है। आप भी रहे होगे और कई साथी भी जेल में रहे है। मेरह कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से यहां हाउस में आने से सभी मैम्बर आपस में एक साथी हो जतो है। उसी प्रकार से जेल में रहने वाले लोग भी एक साथी की तरह ही हो जाते हैं हमारे नेता चौधरी देवी लाल जी का तो जेल जो का बहुत अधिक अनुभव हैं इसलिए मानवता के आधार पर इनकी हमे ाा ऐसे लोगों के प्रति

सहानुभूति रही है। जेलो में ऐसा होता रहा है कि यदि जेल में हरने वाले व्यक्ति का कोई रि तेदार बीमार हो जाए या उसकी डैथ हो जाये याओर कोई जरूरी काम हो तो भी वह किसी से नही मिल सकता था। इसी प्रकार से अगर किसी की लड़की की भाादी हो तो भी वह उस भाद में अब तक जा नही सकता था। इस संबंध में मै भाायद गलती पर नही हूं तो बताना चाहूंगा की ऐमरजैसी के दौरान चौधरी देवी लाल जी की पोती की भाादी थी लेकिन उन्हें उस भाादी में भाामिल होने के लिए जाने नही दिया गया था ऐमरजैसी के दौरान हमारे साथी श्री टेक राम जी और कई साथी थे, जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। उस समय चाहे कितना ही आव यक कार्य किसी को क्यों न रहा हो लेकिन उन्हें उस समय एक दिन के लिए भी जेल से पैरोल पर नही छोड़ा गया था। इन सारी बातों से प्रभावित हो कर ही यह विधेयक हमारी सरकार लाई हैं इस बारें में मै यह भी कहना चाहूंगा कि कई बार नियम तो बना दिए जाते है, लेकिन उनको ठीक प्रकार से प्रयोग में नही लाया जाता। इस प्रकार कथनी और करनी में काफी अन्तर हेा जाता है। और वेनियम केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं ऐसे नियमों को ठीक प्रकार से लागू करना ही सबसकी जिम्मेवारी बनती है। जो व्यक्ति चार दीवारी में बंद होता है, उसे तो पता नही होता कि उसके घर परिवार में क्या कुछ हो रहा है। अब तक ऐसे लोग जो जेलों में बंद है, बिना जेल अधीक्षक की अनुमति के किसी से मिल नही सकते थे। उसे चाहे कितनी ही यातनाएं जेल के अन्दर दी जाएं, किसी को कुछ पता नही चल

पाता था। इसके साथ ही साथ मै यकह कहना चाहूंगा कि जेलों के अन्दर जो लैटरीन्ज की सुविधा है, पानी की सुविधा है या स्वास्थ्य संबंधी जैसे भाुद्ध हवा की जरूरत है, सभी होने चाहिए ताकि जो सा उसे मिल है वह ठीक प्रकार से काट सके। कई बार पीने का पानी बहुत ही खराब आता है। अम्बाला जिले की जेल के बारें में मै बताना चाहूंगा कि जब मै अम्बाला जिले की जेल में बन्द था तो उस समय उस जेल के पीने के पानी में काफी मिट्टी और तेल जैसा स्वाद अनुभव होता था। अब पता नही कि वहां का पानी ठीक कर दिया गया है या नही। मेरे कहने का मतलब यही है कि इन सारी बातों की तरफ भी जेल अधिकाारियों को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी प्राकर से एक बात मै यह कहना चाहूंगा कि जेलों में जो फर्नीचर वगैरा है, उस परउनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। पहले भाायद उन्हें ऐसा काम करने पर 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से दिए जाते थे लेकिन अब भाायद एक रूपया का दिया गया है। इस संबंध में मेरे कहने का मतलबयह है जिस प्रकारसे किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को, बोनस बगैरा देकर, अतिरिक्त सहायता दी जाती है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी उनके किए गए काम में हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। कई कारखानेदार अपने मजदूरों को बोनस वगैरा इसलिए देत है कि उसके मजदूर काम अधिक और ठीक करें। इसी प्रकार से इन लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चहिए ताकि वे भी अच्छा काम कर सके। जेलों में ऐसे काफी लोग बन्द होते है, जो बेचारे बहुत ही गरीब होते है और

उन्हें जो कुछ उनकी हिस्सेदारी मिलती है, उसे बचा कर अपने परिवार के पास भेजते रहते हैं इसलिए मेरी इसबारें में सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर अव य ध्यान दिया जाए। कई बार जेल अधिक्षक ऐसे लोगें से नाजायज काम भी करवते हैं जैसे यदि उनके अपने फार्म है या किसी रि तेदार का कोई कारखाना है, तो उन्हें काम करने के लिए भेजा जाता है। कई बार यह भी देखने में आया है कि यदि किसी बड़े व्यक्ति का किसी से वैर भाव होता है तो वह पुलिस से मिलकर उसे किसी झूझे केस में जेल मं बंद करवा देताहै और फिर उसी व्यक्ति से अपना बदलता लेने के लिए जेल अधीक्षक से मि कर अपने फार्म पर याकारखाने में काम करवाता है। इस बारें में भी सरकार को खासतौर पर देखना चाहिए कि जेलों में बंद लोगों के सथ कोई अन्याया न होने पाये। जो जेल अधीक्षक है, उनके पास काफी जमीन और काफी बड़े बड़े फार्म हैं जो उने पास रैजिउै ायल हाउसिज होते है, उनमें भी वे इन जेल में बंद लोगों से अपना काम करवाते है ओर घर की जमीन पर ही अनाज वगैरा पैदा करवतो हैं ऐसा काम होने पर न तो उस बन्दी को कुछ मिल पात है और न ही सरकार को कुछ मिल पाता हैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन द्वारा जो पैदावार की जाती है, उसमें से इनकों भी रहात दी जाती चाहिए। जितनी जमीन उनके मकानों के लिये जरूरी हो, उतनी ही जमीन दी जानी चाहिए। अगर उनके पास फालतू जमीन होगी तो वे जेल के कैदियों से उस पर काम

करवाते है। और उस जमीन से हजारों लाखों रूपये की आमदनी करते हे।

इस विधेयक में और भी अनेक बातें है, जिनके बारें में कहूंगा कि हमारी सरकार नइ एक बहुत अच्छा प्रयास कियाहैं मै सरकार से तथा श्री नर सिंह ढांडा से यह प्रार्थना करूंगा कि पुलिस के कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए है और ठीक चीजें कई बार ढूंढने पर भी मिल नही पाती है। इसलिए नये सिरे से कोई कमेटी या कमी ान बना दिय जाए जो कि सारे विशय की जांच पड़ताल करके कानून और पुलिस मैनुअल को नही सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाए। आज के जमाने में पुलिस नागरिकों के लिए एक आद र्ा स्थापित करने वाली संस्था होनी चाहिए। जो अपराधी है,उनके लिएजेले तो होनी चाहिए लकिन उन जेलों में उनके साथ जो व्यवहार उकों मिलना चाहिए। गुनाहगार को सजा अव य दी जाए लेकिन मानवता को समाप्त न किया जाए। इन भाब्दों के साथ ही मै इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझ बोलने के लिए आपने जो समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद करत हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रत्न लाल कटारिया (रादौर–अनुसूचित जाति): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मै इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि इस सदन में सभी माननीय सदस्य जानते है कि इस मुल्क के अन्दर ऐसे हालात भी आए कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से सभी स्तम्भित रहे

गए। उदाहरण के तौर पर हिन्दुस्तान के न्दर एक बिहार राज्य हैं वहां की जेलों में कैदियों के साथ ऐसा अमानवीय व्यहसर हुआ जिसे सुन कर रोंगटे खेड़े हो जाते हैं उस राज्य में एक स्थान है भागलपुर। वहां पर पुलिस ने कैदियों पर इतने अत्यचार किए जिसकी कोई मिसाल नही मिलती। उन्होने कैदियों की आंखो में तेजाब डालकर उनकों अन्धा कर दिया। इस प्रकार के पुलिए के जुल्म, अत्याचारों और अमानवीय व्यवहार की घटनाए अक्सर सुनने में आती ही रहती है। इस बात को हरियाणा की लोकप्रिय सरकार ने महसूस किया है कि कैदियों के साथ मानवी सलूक होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की जालिम सरकारे भी आती रहती है जो कैदियों को रिलीफ `दने की बजाए क्रूर तरीके अपना कर उनको परे ाान करती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हरियाणा की लोकप्रिय सरकार ने यह जो अमैण्डमैन्ट प्रस्तुत किया है, उसके अन्दर यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कैदी जेल के अन्दर अच्छा बर्ताव करता है तो उसकी टैम्परेरी रिहाई की बात हे सकती हैं क्योंकि मै पे ो से वकील हूं इसलिएये कई मामलों में बड़े दु:खद और अमानवीय वाकया भी मैने देखे है। कुरूक्षेत्र जिला की एक घअना का जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं एक बुढ़िया के पांच बेटे थे जो कि एक मर्डर केस में इन्वौल्वड थे और जेल में बन्द थे। वह बुढ़िया अपने बच्चों की जुदाई का गम बर्दा ात नही कर सकी और उसने दम तोड़ दिय। ऐसे दु:खद मौके पर यह कैसी विडम्बना थी कि पांच बेटों के हाते हुए भी उस बुढ़िया की अर्थी को कन्धा देने के लिए एक भी बेटा मौजूद नही था। इस

बिल में यह व्यवस्ाा की गई है कि यदि किसी कैदी का व्यवहार अच्छा है तो वह अपने मासूम बच्चों को देख सकता है, जो उसकी जुदाई में ि ाक्षा के अभाव में रहते है। वह कैदी अपने घर की परिस्थितियों में सुधार कर सकता है ंउसके मासूम बच्चों ने क्या गुनाह किया हुआ होता है, जिसके कारण उनको उसकी जुदाई बर्दा त करनी पड़ती है ओर उसके रि तेदार पत्नी आदि उससे मिलने से वंचित हो जात हैं उपाध्यक्ष महोदय, इन भाब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरनाम सिंह (ाहबाद): डिप्टी स्पीकर साहब समाज कल्याण मंत्री महोदय न जो हाउस के सामने बिल पे ा किया है, उसका मै स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कयोकि यह कैदियों की रिहाई और पैरोल के बारें में है लेकिन इसके साथ–साथ मै यह बात भी कहना चाहता हूं कि सरकार को आम कैदियों के सुधार के बारें में भी विधेयक लाना चाहिए। जो लोग जरायम करके जेल में चले जाते है, उनके सुधार के बारें के बारें में भी कोई विधेयक आना चाहिए। कुछ लोग तो प्रोफै ानल क्राइम करने वाले होते है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते है कि जैसे कोई लड़की हो गई, उसमें सजा हो गईं या कोई कत्ल के जुर्म में सजा हो गई तो उनके लिए कोई न कोई विधेयक आना चाहिए ताकि वे अच्छे इन्सान बनें। उनके बारें में

हमें अलग से देखना चाहिए। उनके सुधार क लिए अलग से विधेयक लाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस विधेयक में मै कुछ अमैडमैंट चाहता हूं। इस विधेयक में परिवार के बारें मं लिखा है कि ये ये लोग परिवार के सदस्य गिने जायेगे। उसमें पुत्र–वधु और दामाद को भी भाामिल किया जोय क्योंकि ये भी रि ते में दूर के नही होते है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब कैदी छुट्टी चला जात है तो लेट पहुंचने पर इस बिल में उसे सजा की तजवीज हैं अगर कैदी एक दिन लेट आया तो अधिक से अधिक पांच दिन की माफी की कटौती होगी या एक महीने के लिए कैन्टीयन की सहूलियतें बन्द होगी या मुलाकात या चिट्ठी बन्द होगी। मै समझता हूं कि लेट पहुंचने पर यह सजा कैद की भाक्ल में हो, नही तो डिसिपलिन बहुत कमजोर हो जायेगा। अगर कोई एक दिन लेअ आता है और उसका जवाबद तसल्लीबख्भा पाया जाता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर उसका जवाब तसल्लीबख्भा नही है और गल्त है तो उसे दो गुने से पांच गुने तक यानी एक दिन लेट होने पर उसकी दो दिन की छुट्टी काट ली जाये और वह ज्यादस से ज्यादा पांच तक हो। वारनिंग वगैरह देना तो हौसला अफजायी ही होगी ओर अगर वह ज्यादा दिन रहेगा तो कल और भी ज्यादा सवाल पैदा हो जायेंगे। जेल में जहां हम सहूलियतें देने जा रहे है वहां डिसिपलिन भी मेनटेन करना चाहिए। अगर हमें

अपनी ने ान को और हरियाणा को बनाना है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

मै एक बात और भी कहना चाहता हूं। मै भी कई बार पोलिटिकल बन्दी के तौर पर जेल में गया हूं। वहां जो दिक्कतें है, वे मैने देखी है। इसलिएआज के जमाने में जेल मैनुअल को तबदील करने की जरूरत हैं वह अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ है उसको बने हुए 80–90 साल हो गये है। अब मेरे पास स्पैसिफिक मद नही है जिसके कारण मै यहां नही बता सकता। अगर जेल में ग्रेजुएट या पढ़ा लिखा चला जाये तो वे हर आदमी से अंगूठा लगवाते है। यह बात बहुत चुभती है। जब मै जेल में गया तो झगड़ा भी हुआ। इसलिए मैनुअल को देखना चाहिये, उसको अमैड करना चाहिए। जेल के सुधार के लिए इन्सैन्टिव देना चाहिए हमें लोगों को अच्दी भाहरी बनाना चाहिए इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना कर लोगों से तजवीज मांगी जाये ओर दूसरा विधेयक बनाया जाये। इन भाब्दों के साथ मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मोहिन्द्र (रोहट): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सदाचारी बन्दी (अस्थाई रिहाई) विधेयक 1988 को माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने पे ा कियाहैं मै इ विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हआ हूं। मै मंत्री महोदय का धन्यवादी हूं कि इस बिल में नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यानी जिल से नागरिक वंचत रह जाते है,उन्हे ंदेने के लिए सरकार यह

विधेयक लायी हैं उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1947 से पहले की परिस्थितियां कुछ और थी और आज की और है। आज हर नागरिक उन असुविधाओं और अनियमितताओं का विरोध करना चाहता है जिने बारें में यह सोचता हूं कि उससे उसे दबाया जा रह है। इस विधेयक मे ंएक क्लास 6 है। धारा 3 और 4 के अधीन बन्दी कुछ दिन की रिहाई के हकदार हेागे और कुछछशा में बन्दी रिहाई के हकदार नही होगे। राज्य सरकार द्वारा उनकी यात्रा के लिये खर्चा उठाया जाना, एक ऐसा प्रोविजन है, जो वकाई तारीफ के काबिल हैं मै हरियाणा सरकार को इस बात क लिए बधाई देता हूं कि उसने इस बात को ध्यान में रखा है जैसे हीरा नन्द आर्य जी ने बताया कि मानवता के आधार पर भी यह बात ंसीडर की जानी चाहिये थी, जो कंसीडर की गयी हैं मै हरियाणा सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के पास होने के बाद हमारा प्रदे ा पहले नम्बर पर आ जायेगा जिसने दे में ऐसा कदम उठाया है। अन्तं में मै इस विधेयक की तारीफ करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मै इस बिल का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मै एक दो सुझाव भी अपनी तरफ से दना चाहता हूं। फरीदाबार जिले के अन्दर अब तक इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोई भी जेल नही हैं फरीदाबाद के न्प्द अगर किसी को किसी भी जुर्म में सजा हो जोय तो उसको रोहतक जेल में भेजते है, गुडगावं जेल में भेजते

है या फिर अम्बाला जेल में भेजते है। चाहे किसी को सियासी केस में जेल भेजा जाये, किसी मर्डर केस में या चोरी के केस में भेजा जाये, वह सजा उसके परिवार को मिली हैं उसके परिवार को रोहतक जाना पड़ता है या गुडगावां जाना पड़ता है। मै यह कहूंगा कि फरीदाबाद के अन्दर भी कोई न कोई जेल बननी चाहिये। मैने पिछले दिनों एक बात देखी। फरीदाबाद के अन्दर सजा होने के बाद, उसके परिवार को और उसके साथियों को काफी दिक्कत होती हैं इसलिए मै यक कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले के अन्दर कोई न कोई जेल अव य होनी चाहिए क्योंकि आज तक वहां पर कोई जेल नही हैं अन्त में मै यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमीर लोकप्रिय सरकार जो चौधरी देवी लाल के नेतृत्व मे ंचल रही है, ने जन कल्याण के लिए बहुत ही प्रभावी और दूरगामी कदम उठाया है इस विधेयक के माध्यम से बहुत सी सुविधाये दी गयी हैं पंजाब ऐक्ट 1962 में जो सुविधाये दी गयी हैं उनको और ज्यादा रिलैक्स करके रिहाई की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसके लिये समाज कल्याण मंत्री बंधाई के पात्र है। नि चत रूप स हमें सबसे पहले इस प्र न में जाना होगा कि इन जेलों के नाम समाज सुधार गृह क्यों रखा गया है? इस कानून को बनाने का मकसद भी यही हैं यह विचार उभर कर सामने आता है कि हमारे यहा समाज में या

स्वच्छ समाज में इतने दिन गुजारने के बादभी ऐसी प्रवृति के लोग रहते है कि उन पर अंकु ा लगाने के लिये भाासन को समाज में कानून व्यवस्था सुधारने के लिये और उसको मेनटेन करने के लिये कानूनों की आव यकता पड़ती हैं चाहे या अनचाहे मै उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों का कानून के मुताबिक सजा दी जाये। जैसे क आप स्वयं भी जातने है, हमारे सभी विधायक साथी और जनता इस बात से परिचित है कि बहुत से केसिज में कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जब दिल और दिमाग में या मनप व मस्तिश्क में कोई ऐसी बात नही होती और परिस्थितियां या कारणवं ा वह काम हो जाता है। इसमें जो असाेाई रूप से बन्दियों को रिहाई का रिलीफ दिया गया है, यह ठीक बात हैं इसमें जो सुविधा दी गयी हे, जो प्रोवीजन किया गया है कि किसी वि ोश परिस्थितियों में सरकार की तरफ से टैम्पोररी रिलीफ दिया जाये, यह वास्तव में बहुत ही प्र ांसनीय कदम है। जिस तरीके से यह कियागया है यह काबिले तारीफ है कि बन्दी की फैमिली में अगर किसी की मृत्यु हो जाये या वह स्वयं बीमार हो जाये या उसकी फैमिली में से कोई गंभीर रूप से बीमार है तो उसको तीन सप्ताह तक रिहा किया जा सकता हैं। यह रिलीफ उसको हो सकता है। अगर बंदी की फैमिली के सिी आदमी की ाादी है या उसकी अपनी भाादी है तो उसको चार सप्ताह तक रिहा किया जा सकता है। इसक अलावा खेती व्यवस्था सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिये उसकी रिहाई 6 सप्ताह तक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई अत्यन्त आव यक काम होगा तो इस

बिल में चार सप्ताह की रिहाई का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय में जेलां की व्यवस्था अच्दी नही थी लेकिन जब भारत स्वतन्त्र हुआ है, जेलों की व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है लकिन अभी भी काफी सुधार की गुजाइ ा हैं उपाध्यक्ष महोदय, मै चाहता हूं कि ऐक्सपर्टस की एक साइकौलोजी कमेटी बना दी जाए तो रिलीफ देने के समय यह सावधानी बरते और यह देख ले कि लोगों को छोडत्रा जा रहा है, उनके मन में दूसरे लोगों के प्रति कोइ रंजि ा तो नही है जिससे कही ऐसा न हो कि वे छूटकर समाज में कोई परे ाानी खड़ी कर दें और जिन लोगों के प्रति उनछूटने वालों के मन में कोई रंजि ा है, उनको कोई कश्ट दें। यह मेरा एक सुझाव हैं उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कहकर मै इस बिल का समर्थन करता हूं।

जेल राज्य मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा): डिप्टी स्पीकरसाहब, आदरणीय चौधरी देवी लाल की सरकार ने यह जो बिल सदन के सामने रखा है यह बहुत अच्छा बिल हैं सभी माननीय सदस्यों को पता भी है कि चौधरी साहब खुद बहुत सालों तक जेलों मे ंरहे है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भूख नही देखी उसको भूख का पता नही हाता। केवल भाशण देने से भूख का अनुभव नही होता। चौधरी देवी लाल ने बहुत साल अपनी जिन्दगी के जेलों में बिताए है और उन जेलों की हालत देखकर ये सारे सुझाव उनके मन में आए और इस बिल के रूप में इस सदन मे प्रस्तुत किए गए है। सभी सदस्यों ने इस बिल का समर्थन

किया है, लेकिन कुछ बातें सामने आई हैं रघु यादव, हीरा नन्दआर्य, भगवान सहाय रावत और कटारिया साहब ने कुछ सुझाव दिए है यहां पर कहा गयाहै कि महेन्द्रगढ़ जेल में चौधरी साहब ने पंखे लगवाने का आर्डर दिया था लेकिन वे लगे नही है। इसकी इंकवायरी करवा लेगे और जिसकी गल्ती होगी उसको सजा देगे। एक बात यह कही गई कि मजदूरी बहुत कम है और यहकेवल आठ आने हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह मजदूरी अब तीनचार रूपये के बीच में कर दी गई है। इसी तरह से रघु यादव ने कहां कि जेलों में ऐनवायरनमैंट अच्छा होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राहेतक ओर हिसार की जेलों को देखा जाए तो पता लगेा कि वहां बहुत बढ़िया ऐनवायरमैंट हैं वहां पर फूल लगे है और छोटे बगीचे बनाए हुए है। जो नई जेलें बन रही है, उनमें ये सारी चीजें बनई जा रही है और ऐनवायरमैंट को बढ़िया बनाया जा रहा है। जहां तक मिलने की बात है मिलने का टाईम ज्यादा दिया जाता हैं और बाहर भौड बना दिए है। जो भी मिलने के लिए जाता है उसको पूरी सहूलियत दी जाती हैं जो पीछे कानून थे, वे अंग्रेजों के टाईम के थे। 1962 का जो ऐक्ट बना हुआ था उसकों कुछ सिम्पलीफाई किया हैं आर्य साह ने कहा है कि कानूनों में सुधार किया जाए। मै आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारें मे अपने सुझाव ला कमी ान को भेज दें। सुझावों को देखकर विचार किया जाएगा कि क्या सुधार किया जा सकता है। कटारिया साहब ने कहा कि बीमारी की हालत में तुरन्त रिहाई की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर लिखा है कि तुरन्त रिहाई की जाएगी और

इसके लिए जो भी अफसरमौके परहेाग, उसके पास राइट होगा कि वह उस आदमी को जल्दी रिहा कर दे और जिस मौके पर उसे पहुंचना है, वह आसानी से पहुंच सके। उपाध्यक्ष महोदय, सभी मैमबर्ज ने इसका समर्थन किया है है डाक्टर हरनाम सिंह जी ने बोलते हुए भाादी की व्यवस्गि रखी है रघु यादव साहब ने बोलते हुए कहा कि कोई दोशी तो जेल चजा जाता है लेकिन कई बिना दोश किये ही जेल चले जाते हैं इसके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए। मै यह बताना चाहता हूं कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही हम किसी को जेल में बन्दर करते है। उस फैसले के खिलाफ हम नही जा सकते। उन्ही फैसलों के अनुसार ही हमें कैदियों को जेल में रखना पडता है और उन कैदियों का जेल में सुधार किया जाता हैं।

इससे आगे एक और बात इस सरकार की यहां बताना चाहता हूं। हमारे सत्ता में आने से पहले जेलों में कैदियों को दूध वगैरह नही दिया जाता था। अब हमारी सरकार ने हर कैदी के लिए एक पाव दूध रोजाना देने की व्यवस्था की हैं यह बड़ा ही सरहानीय काम है। यहां तक ही नही बल्कि हमने जेलों और सब–जेलों में टी0 वी0 सैट्स और टू–इन–वन भी दिये है। साथ ही सथ ऐम्बुलैन्स बैन्ज की भी डिस्ट्रिक्ट जेलों में प्रबन किया गया है ताकि किसी ऐमरजैन्सी में उस वैन का प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार से अब जेलों के अन्दर और भी सुख–सुविधाएं प्रदान की गयी है।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, क्या टी0 वी0 सैट्स और टू–इन–वन मंत्री महोदय ने अपनी भाादी के मौके पर तो नही पहुंचाए है।

श्री नर सिंह ढांडाः ये पहले के है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, इन सभी बातों को सरकार ने अपने ध्यान में रखा है। जहां तक जेल मैनुअल की बात है, उसको जल्दी ही बदला जाएगा और जा पुरानी बातें है, उनमें जल्दी से सुधार लाया जाएगा। अगर कोई दिक्कत सरकारफीलकरेगी, तेा उसकीो जल्दी ही दूर किय जाएगा। मै यहां सभी माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई और सुझाव हो, या कोई ऐसी बाते हो जिन से जेलों में सुधार लाया जा सके, तो वे अपने सुझाव अव य हमें भेजें हम उनको स्टडी करेगे और उन पर पूरा पूरा विचार किया जाएगा। इन भाब्दों के साथ, मै हाउस से यह प्रार्थना करूंगा कि इस सं ाोधन बिल को पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Good Conduct Prisoner (Temporary Release) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause

Sub-clauses (2) & (3) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That sub-clauses (2) & (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 4

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 5

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 6

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 7

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 8

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 9

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 10

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 11

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Dr. Deputy speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Jails (Sh. Nar Singh Dhanda): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaerker: Question is—

That the Bill be passed

The motion was carried

(iii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिड अमैडमैंट) बिल, 1988

श्री उपाध्यक्ष महोदयः अब ऐक्साइज एंड टैक्से ान मिनिस्टर साहब दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिड अमैडमैट) बिल, 1988 इंट्रोड्यूस करेगे और यह प्रस्ताव करेगे कि बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain): Sir, I beg to introudce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill 1988.

I also move-

That the Haryana General Sales Tax (Secound Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Secound Amendment) Bill be taken into consideration at onec.

श्री मंगल सैन (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, राव राम नारायण जी ने सदन में जो बिल पारित करने के लिए रखा है, इसके बारें में भ्मै कुछ कहना चाहता हूं। हमारे ये बुजुर्ग कराधान विभाग के मंत्री है। इस बिल पर मै अपनी बात कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रो0 सम्पत सिंह जब इस डिपार्टमैंट को देखते थे तो उस नवयुवक मंत्री ने काफी ऐसे परिवर्तन किए थे जिससे व्यापारियों को राहत मिले। समाज का हर वर्ग उपयोगी है, महत्सपूर्ण है, प्रोडयूसर डिस्ट्रीव्यूटर और कंज्यूमर, तीनों वर्गों का अपना अपना स्थान हैं मै कहना चाहूंगा कि इन्होने कुछ दिनों में ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आकर व्यापारियों को फिर से परे ाान करना भाुरू कर दिया हैं एक फार्म 38 नम्बरका और लगा दिया है। मैने सुना है कि कोई ऐडवाइजरी कमेटी बनाई हुई हैं सुना इसलिए कर रहा हू कि हमारी स्थिति ऐसी है और खास करमेरी अपनी स्थिति ऐसी है कि हमारे से कुछ न कुछ सलाह करने का मतलब ही नही है, वैसे कोई जरूरत भी नही है। उसमे ंव्यापारियों के प्रधान, हिसार निवासी, दाल वाले है, जो अब बेसन वाले भी हो गए है। उनहोन ब्यान दिया है कि साहब हमसे पूछा तक नही । मुझ यह बात पढ़ कर बड़ी हैरानी हुई कि यहकैसे हो गया? डिप्टी स्पीकर साहब, मै निवेदन करना चाहता हूं, उसको तुरन्त खत्म किया जाना चाहिए। इस विधेयक में कम्बलऔर हैडलूम के सामान के बारें में भी फरमाया गया है। इस बारें में मेरी एक काल अर्ट ान मौ ान भी थी जिसमे मैने अंडरवियर और बनियान के बारें में बात की थी और मैन कहा था कि हमारे भाहरों में घरेलू

उद्योग धंधों में काफी महिलाएं लगी हुई हैं जो छोटे छोटे कपड़े सिलती है अगर उन पर टैक्स लगा दिया गया तो हमारे रोहतक की मंडी तो बिल्कुल उजड़ जाएगी। उधर राजस्थान में इस पर टैक्स बहुत कम है, दिल्ली में कम है ओर पंजाब में कम हैं अगर उन पर टैक्स लगा दिया गया तो उनकों लाईसैन्स लेना पड़ेगा। हरियाणा का इंडीजीनियम माल हरियाणा में ही रहे और उसको हरियाणा की जनता ही इस्तेमाल करें उन पर टैक्स लगाने से कही ऐसा न हो कि हरियाणा के नौजवान लड़के दिल्ली से सामान लेने के लिए रात को रेल में पलवल, रिवाड़ी, सोनीपत और फरीदाबाद की ओर से जाएं और वहां से सामान ला कर हरियाणा में बेंचे। हजारों छोटे छोटे नौजवान लड़के अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं हमारे प्रदे ा के बेरोजगारी के बारें में एक सवाल के जवाब में बताया गया थ कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो प्रोफै ानल लोग है, वकील है, डाक्टर्ज है और इंजीनियर्ज है, वे बकार घूम रहे है। थोडे पढे लिखो ंका तो बहुत बुरा हाल है। जो हमारे प्रदे ा में बेरोजगार है, उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता तो दे नही सकती क्योंकि इनता पैसा कहां से आए? डिप्टी स्पकीर साहब, यदि उन परटैक्स लगा दिया गया तो यह एक परे ाानी का कारण बन जाएगा। डिप्टीस्पीकर साबि, एक बात यह कही गई है कि जो दुकानार एक लाख रूपए ताक कम्बल बेचेगा उस पर टैक्स नही लगेगा लेकिन उसको कम्बल बेचने के लिए लाईसैन्स जरूर लेना पड़गा। ऐसा करके इंस्पैक्टर को दुकान पर चढ़ने का मौका दे दिया गया हैं डिप्टी स्पीकर साहब, आपको इस बात का तजुर्बा

है या नही मुझे इस बारें में पता नही लेकिन इंस्पैक्अर को एक बाद दुकान पर जाने का मौका मिल जाए तो वह अपनी दिहाडी बनाने से बाज नही आता। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री मास्अर बनारसी दास गुप्ता जी बैठे नही है, उन्होने कल सदन में कहा था कि भ्रश्टाचार धीरे धीरे बन्द कर रहे है।

श्री रघु यादवः वे मास्टर नही, लाला है। (व्यवधान और भाोर)

श्री मंगल सैन: वे मास्टर ही है और यदि उनको लाला भी कहा जाए तो कोई बुरी बात नही है। वे पुराने स्वतन्त्रता सेनानी है and I have every regard for him. यादव साहब, लाला कहना भी उनके लिए इज्जत का प्रतीक है Do not use it in a contemptuous way. It is very bad. (Interruption) मैं निवेदन करनाचाहता हूं कि इससे परे ाानी बढ़ने वाली बात हैं ऐसा करके आपने इंस्पैक्टर को दुकान पर चढ़ने को मौका दे दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, व्यापरियों ने हम सबों यहां लाने में बड़ी मदद की हैं यह सरकारअव्यापारी, किसान, मजदूर और आम आदमी के सहयोग से बनी हैं उस संघर्श में छोटे दुकानदारों का भी सहयोग रहा हैं उनकों इंस्पैक्टर्ज के चगुल में कया फंसाय जा रहा है? राव साहब, बुजुर्ग आदमी है तजुर्बेकार है और वे ब्यूरोक्रेट भी रहे है भाायद हरियाणा बिजली बोर्ड के सैक्रेटरी रहे हैं वे भाुक्ष तबीयत के आदमी है। मै इनसे इलतजा करूंगा कि ये इसको ड्रौप करें। एक बात यह भी कही गई हैं कि यदि कोई व्यापारी को जुर्माने से

डर नही लगता उसको कैद से डर लगता है। आप कोई ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाए तो हर व्यापारी अपना हिसाब ठीक रखेगा। अगर ठीक न रखे तेा उसकों ऐसा कोई दण्ड दिया जाए तो सुहालात सुहता हो। आपने व्यापरियों को जो सुविधाएं दी थी, उन परकायम रहे। व्यापारियों ने कई नेताओं को पैसों से तोला भी था, सम्मेलन भी किए थे तथा उन्होने पुरियां भी खिलाई थी, इसलिए कम से कम उनकों इस परे ाानी से दूर करों। उनको आपने जो सुविधाएं दी थी उनकी उसी तरह से कायम रहने दें। इन ाब्दों के साथ मै अपने बुजुर्ग राव साहब से प्रार्थना करूंगा कि मैम्बरों की भावनाओं को ध्यान मैं रखते हुए इस बारें में विचार करें।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, राव साहब ने जो विधेयक प्रस्तुत किया हे, इस पर मै आपने विचार प्रकट करने के लिए खडत्रा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व मे बनने के बाद व्यापारियों को काफी सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठाये है और व्यापारियों को राहतें भी दी गई है। यदि उन राहतों की चर्चा, मै यहां पर इस समय करूं तो कोई गलत बात नही होगी। हमार सरकार ने सोयाबीन मिल को टैक्स मुक्त किया औरजो मैनुफैक्चरिग गुड्ज है, उन पर भी सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स वापस लेने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं साथ ही साथ साधारण व्यक्ति के प्रयोग में आने वाले नमक को भी करमुक्त किया हैं हले नमक

की थैलियों पर टैक्स लगता था, उसे अब बिल्कुल समाप्त कर दिया हैं इसी प्रकार से हलवाईयों तन्दूर–ढाबों आदि पर जो टैक्स पहले लगता था, उसे वापस लेकर इन लोों को राहत दी हैं इसी प्रकार से हाथ से बनी हुई चीजों पर जो टैक्स लगता था, उन आईटमों पर भी 5.5.1973 से टैक्स से राहत दी हैं (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) आयल पर पहले 6 परसैन्ट टैक्स लगता था, जिसे घटा कर 2 परसैन्ट किय गया हैं इसी प्रकार से लकड़ी पर भी 12 परसैन्ट से 8 परसैन्ट टैक्स किया गया है। स्टैनलैस स्टील की आईटमों पर 12 परसैन्ट और 8 परसैन्ट टैक्स लगता था अब हमारी सरकार ने इन सभी पर 12 परसैन्ट और 8 परसैन्ट की बजाये 3 परसैन्ट टैक्स किया है। इसी प्रकार से व्हीक्लज की चैसिज पर जो टैक्स 10 परसैन्ट था, उसे हमारीसरकार ने घआ कर 4 परसैन्ट किया है। कम्बलों पर भी हमारी सरकार ने 4 परसैट से कम करके 2 परसैन्ट टैक्स किया हैं जूट के बने हुए बैग्ज पर पहले 8 परसैन्ट टैक्स लगता था उसे भी घटा कर 4 परसैन्ट किया गया है। इसी प्रकारसे सीमेन्ट और टायर और दूसरी कई चीजों पर जो सेल्ज टैक्स 12.80 और 8 परसैन्ट टैक्स लगता था, उसे भी काफी घटाया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से काफी सुविधाएं व्यापरियों अनेक राहते देने के बावजूद भी कहां पर औरकिस जगह गड़बड़ है जो तालमेल आपस में दोनों का होनाचाहिए, वह अभी तक नही हो पाया हैं हमें इसके कारण जानने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहां परयह जो विधेयक प्रस्तुत

किया गया है इसमें डा० साहब ने फार्म–38 के बारें में चर्चा की है। क्योंकि मै तो व्यापरी नही हूं इसलिए मुझ फार्म–38 के बारें में कुछ ज्यादा ज्ञान ही है। लेकिन इस फार्म के बारें में मैने व्यापारियों में चर्चा अव य सुनी हैं मै समझता हूं कि कर के जो नियम है जितने सख्त होगी और जितना ज्यादाटैकस होगा उतनी ही टैक्सी की चोरी होगी। यदि सिी चीज पर 10–12 प्रति ात टैक्स लगता हो तो व्यापारी हमे ाा अपनी बचत की बात सोचता है और वह बेईमानी से टैक्स बचाता है। जो ईमानदार व्यापारी है, उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि टैक्स 10 या 12 प्रति ात है तो व्यापारियों की हमें ाा यह प्रवृत्ति रहती है कि वे इस टैक्स का 4 या 5 प्रति ात भाग भ्रश्ट तरीकों से खर्च कर 6 या 7 प्रति ात टैक्स की चोरी कर ले। यह 4 या 5 प्रति ात वे इन्सपैक्टरों पर, ओर बैरियर आदि पर चोरी करके औ इन्कम टैक्स वालों के अधिकारियों को रि वत आदि के रूप मे देकर खर्च करत है ओर उसके एवज में टैक्स की चोरी करते है। इस प्रकार व्यापारी लोभव ा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से मिली भगत करके उन्हें भ्रश्टाचार के लिए उकसाते है जिससे भाासनतन्त्र भ्रश्ट होता है। ज्यादा टैक्स दर होने से टैक्स की चोरी ज्यादा हेाती है जिन राज्यों में टैक्स की देरें कम है,उन राज्यों का टैकस राजस्व ज्यादाटैक्स दर रखने वाले राज्यों से की अधिक है। दूसरे प्रांतों में जहां टैक्स दरें कम है। वहा टैक्स से होने वाली इन्कम बढ़ी ही है। इसलिए व्यापारियों पर टैक्स की दरें कम करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। जो विधेयक इस समय सदन में

रखा गया है, उसमे ंमुख्य रूप से तीन बातों में अमैण्डमै।ट की गई हैं सबसे पहले बात जनवरी, 1988 से पहले कम्बलों पर कोई टैक्स नही लगता था। बादमें सरकार ने इस आईटम पर टैकस लगायाहै जो कि उचित बात है। इसमें यह प्रावधान किया गयाहै कि जिस व्यापारी की कम्बालें को टर्न ओवर एक लाख रूपये से अधिक वार्शिक होगी, उस परयह टैक्स लगाया जाएगा। इस प्रकारका सं ाोधन इस बिल की धारा 6 में प्रस्तवित है। दूसरी बात इस बिल की धारा 13 में एक ल्याज जोडी गई हैं जिसक अनुसार हरियाणा जैसे कृशि प्रधान प्रदे ा में भी उद्योग धन्धे लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। कृशि प्रधान दे ा प्रांत अथवा समाज में यदि इंडस्ट्री और उद्योग धन्धे नही होगे तो उसकी उन्नति नही हो सकेगी। सरकार ने इसबात को मद्देनजर रखते हुए जो नई औद्योगिक नीति घोशित की है, उसमें सरकार ने उद्योगपतियों को कुछ रिलीफ दिए है ताकि आने वाले समय में प्रदे ा में अधिक से अधिक इंडस्ट्री और उद्योग–धन्धे स्थापित हो सके। इस औद्योगिक नीति के तहत ही यह क्लाज जोड़ी गई है।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, आप जल्दी ही वाईण्ड अप करे।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनअ में मै अपनी बात समाप्त करता हूं। धारा 14 मतें जो सं ाोधन किया गयाहै उसमे ंयह है कि कोई कोर्ट का फैसला था और अदालत

का वह फैसला सरकार के खिलाफ था। यदि सरकार पिछली तारीख से अमैडमैट ने करें तो सरकार को लगभग 50 लाख रूपये का घाटा आत है। इस घाटै की बचाने क लिए ही सरकार ने यह सं ाोधन प्रस्तुत किया हैं एक अगला सं ाोधन जो बिल द्वारा किया गया है। वह यह है कि अगर कोई व्यापारी इन्कम टैक्स इन्सपैक्अर या किसी अधिकारी को अपनी दुकान के बही खाते या रिकार्ड वगैरा नही देता, क्योंकि जो व्यापारी नम्बर–2 का काम करते है। वे अपनी सारी नम्बर दो की कितबे किसी दूसरी जगह पर रखते है, तो अधिकारी ऐसे व्यापारी को दो हजार से पांच हजार रूपये तक का जुर्माना करसकते हैं इस बारें में मै यह कहना चाहूंगा कि इस धारा से की भ्रश्टाचार को बढ़ावा न मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जो रूल्ज और नियम निर्धारित किये गये है, उनका सख्ती से पालन हो। भ्रश्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिएं इलैक ान के समय हमने जनता से यह वायदा कियाथा कि हम इन्सपैक्टरी राज को खत्म करैगे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कही इससे इन्सपैक्टरी राज को बढ़ाया न मिले। इसलिए इस बिल की धारा पर पुनविचार करके इस बड़ी सावधनी से इस्तेमाल करना होगा ताकि भ्रश्ट इन्सपैक्टर या अधिकारी व्यापारियों से जबरदस्ती पैसा इकट्ठा न करने लगे। हरियाणा सरकार ने कई बार व्यापारियों से बातचीत के लिए एक कमेटी बनायी हुई है। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर उनसे विचार–विर्म ा किया जा सकता हैं और व्यापारियों को सहूलियतें दी जासकती हैं राव राम

नारायण जी हमारी इस सरकार मे बहुत ईमानदार मिनिस्टर है। इसलिए उन्हें ईमानदारी से कार्यवाही करके प्र ाासन को ठीक प्रकार से चलना चाहिए ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो।

श्री ि ाव प्रशाद (अम्बाला भाहर): अध्यक्ष महोदय, बहुत थोडे समय के अन्दर दो चार बातें मै आपे द्वारा मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं। इस बिल में लिखा है कि जो व्यापारी अपना हिसाब–किताब नही रखेगा, उस पर असैसिग अथोरिटी दो से लेकर पांच हजार तक पैलन्टी लगा सकती हैं बड़े दुकानदार और फैक्टरी वाले तो अपना हिसाब किताब रख सकते है। लेकिन छोटे दुकानदार न तो स्वयं हिसाब रख सकत`है और न ही वे मुनीम रख सकते है। ऐसा करके तो छोट दुकानदारों को इन्सपैक्टर्ज के चंगुल में फसाने वाली बात है। आजकल 50, 60, 70 और 80 रूपये का कम्बल आम गरी आदमी इस्तेमाल करता है। अम्बाला भाहर में होलसेल कपड़े की मार्किट हैं इस कपड़े की मार्किट के सथ सारा हिमालय प्रदे ा जुडद्या हुआ हैं और अम्बाला के आस–पास के लोग भी वहांसे माल लेने के लिए आते है। वे लोग वहां से छोटे–मोटे कम्बल वगैरहा भी ले कर जाते हैं अगर कोई हिमाचल का छोटा व्यापारी वहां पर माल लेने के लिए आता है तो वहा कपड़े के साथ–साथ कम्बल वगैरह भी खरीद लेता है। वह व्यापारी कपड़े की गांठ के अन्द ही कम्बल वगैरह भी बन्धवा लेता हैं अगर वह व्यापारी वहां से माल लेकर चला गया और उसे बैरीयर पर चैक कर लिया गयाऔर उसकी गांठ को खुलवा लिया

तो उस गांठ को न कोई वहां पर बान्धने वाला मिलेगा और न ही चढ़ाने वाला मिलेगा। इसलिए मै निवेदन करूंगा कि ये जो कम्बल और भााल के बीच में ले आये है,ये नही लेने चाहिए। पहले कपड़े पर कोई टैक्स नही होता था इसलिए इस बारे में फिर से सोचा जाये ताकि हरियाण के लोग इस परे ाानी से बच जाये। जैसा कि मैने पहले भी कहा कि हिमाचल और इधर उधर का सारा इलाका अम्बाला से कपड़ा खरीदता था लकिन अब वे लोग हरियाणा से माल न खरीद कर चण्डीगढ़ और सहानपुर से माल खरीद कर ले जायेगे और हरियाणा प्रदे ा को जो छोटी–मोटी इन्कम होती थी, वह भी खत्म हो जायेगी। जिसके कारण हरियाणा को नुक्सान होगा।

एक दूसरी बात मै मंत्री महोदय के नोटिस में और लानाचाहता हूं। जैसे हौजरी वाले है जो अच्छा बनियान बनाते है उन पर तो पहले ही टैकस लगा हुआ है। आपको पता है कि गरीब आदमी ही कच्छा बनियान इस्तेमाल करते हैं सड़क पर काम करने वाला, रिक ाा चलाने वाला और रोड़ी कूटने वाला आदमी कमीज पाजा न पहन कर कच्छे बनियान में काम करता है। इसलिए ऐसा करने से गरीब आदमी पर ज्यादा असर पड़ेगा। मेरा मकसदयह है कि ऐसेा करने से आस पास के प्रांतों को आमदनी होगी और जो हमारी स्टेट को आमदनी होनी थी, वह नही होगी। आस पास के प्रांतों को देख कर अपनी स्टेट की आमदन बढ़ाने क लिएटैक्स लगा दिया जात ळै। सरकार यह देखती है कि दिल्ली,

राजस्थान और उत्तर प्रदे ा में किसचीज पर कितना टैक्स है, उसे देख कर बढ़ा दिया जाता है। लेकिन बढ़ाने के बाद उतनी आमदनी नही होती। उससे परे ाानी और भ्रश्टाचार बढ़ता है हमारे यहां अम्बाला से दिल्ली डेली पैसेन्जर्ज हैं वे दिल्ली से पानीपत और पानीपत से अम्बाला तक पास बनाव लेते है और वे रोजना सामान लाते है। जैसे चप्पल और दूसरी चीजों पर सी0 एस0 टी0 लगा है, कही टैक्स लगा है ओर कही सर चार्ज लगा है, इस प्रकार वह 12–14 परसैन्ट बन जात हैं इस प्रकार से जो लोग माल लेकर दिलली से आते है वह दुकानदार को तीन या चार परसैंट टैक्स पर माल दे देते है ंन तो उनका यह पैसा हरियाणा में सेल्ज टैक्स के रूप में आता है और न ही हरियाणा की आमदनी बढ़ती हैं इसबहाने वह माल चोरी से लाते है। म्यूनिस्पिल कमेटी की सीमा में जब वे दाखिल होते है तो वे औक्ट्राय भी नही देते। इससे कमेटी को औक्ट्राय की इन्कम में भी ुक्सान होता ळै। मेरा कहना यह है कि चाहे वह कच्छा तहो या बनियान हो, चाहे वह जूते का सवाल हो, इन पर टैक्स नही होना चहिये। प्लास्टिक के 25–30 रूपयके के जूतों पर जैसे कि हमार बराबर की स्टेअ में टैक्स माफ है हमारे याहं भी माफ होना चाहिए। हमारे यहां पर इनके ऊपर टैक्स है। हमारी सरकार ने यह कई बार एलान किया है चाहे वह गांव का रहने वाला है, किसान है, मजदूर है या वह दुकानदारहै, उनको सब को रहात देनी हैं सब की नुमांयदगी हम लोग करते है। मेरा तो सुझाव है कि आप भी कम से कम 25–30 रूपये की चप्पलों या जूतों को इस अैक्स

की सीमा से निकाल दे ताकि आम लोगों को रहत मिल सके। पिछले दिनों बूरे के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। घरों में बूरा कुछ लोग लकड़ी के कूटते हैं कूटने के बाद उसको बेचते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गय। राजस्थान की सीमा के साथ लगते हुए हमार कुछ इलाके है। वहां पर लोग 10—15—20 सेर बूरा ले आये, अउसे ऊपर टैक्स नही हैं अब लोगो ंने बूरा कूटने वाले मजदूरों को हआ दिया वे कहते है कि अब हमें बूरा बनाने की जरूरत नही है ंअब तो हम राजस्थान से बुरा लेगे। मेराकहना यह है कि हमारी हरियाणा सरकार को पैसे का भी ध्यान रखना चाहिए लेकिनइसके साथ ही साथ गरीबों को भी राहत देनी चाहिए हमारे नेता ने कहा तो है कि हम भ्रश्टाचार को खत्म करना चाहते हैं लेकिन इस तरह से तो भ्रश्टाचार बढ़ेगा। जितने टैक्सिज आप बढ़ायेगे, उतना भ्रश्टाचार बढ़ेगा। जितने टैक्सिज कम होगे उतना भ्रश्टाचार घट जायेगा। हरियाण प्रदे ा सरकारकी आमदनी ज्यादा हो सके, इसके लिए मै आपक द्वारा कुछेक सुझाव देना चाहता हूं एक हमरे यह धूलकोट बैरियर है और एक देवीनगर जी0 टी0 रोड पर बैरियर हैइनके लिए कोटा मुकर्रर कर दिया गया है कि पैनल्टी का 35 हजार रूपया धूलकोट वाला बैरियर इकट्ठा करके देगा और 70 हजार रूपया देवीनगर का बैरियर इकट्ठाप करके देगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक लाख रूपया इन्होने केवल इन दो बैरियर्ज के लिए मुकर्रर कर दिया हैं इससे वहां पर रि वत का सिलसिला भ्रुरू हो जायेगा। पैनल्टी लगने के बाद क्या दिक्कत आत है, वह भी जरा सुन ले। जिसके ऊपर पैनल्टी

लगती है, वह एप्लाई करता है कि उसको आर्डर की एक नकल दी जाये ताकि वह उसके अर्गेस्ट अपील कर सके। एक एक साल पुराने ऐसे केसिज अभी तक पडत्रे हुए है, जिनको पैनल्टी लगने के बाद आज तक भी नकल नही मिली है। अगर मै उनकी डिटेल बताने लगूंगा तो ज्यादा समय लग जायेगा। इसबारें में एक सुझाव मैने पहले भी दिया था। वह सुझाव यह है कि अपीले सुनने के लिये एक ट्रिब्यूनल दो जगज होना चाहिए। एक फरीदाबाद में और एक अम्बाला मे ंट्रिब्यूनल दो जगह होना चाहिए। एक फरीदाबाद में और एक अम्बाला में ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि लोगों को कुछ सुविधा हो सके। अब अफसर एक जगह रख दउेत है कि आप यहां पर आ जाये। आदमी सैकड़ो रूपये खर्च करके वहां पर आते है। कई बार उस दिन बाई चांस वह अफसर वहां पर नही पहुंचता तो उस दिन आदमी को वहां से वापिस जाना पड़ता हैं ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। हमारे हरियाणा के खजाने में किस तरीके से ज्यादा पैसा आये, इस प्रकार की याजना जरूर बनाये। मै नही कहता लकिन आम लोगों को कहना यह है कि भ्रश्टाचार खत्म होने के स्थान पर सरकार की इन नीतियों से यह बढ़ता भ्रुरू हो गया है।

श्री अध्यक्षः अब आप बैठिए।

श्री शिव प्रसादः ठीक है जी, धन्यवाद।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, राव राम नारायण ने हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय सं ाोधन) विधेयक, 1988 विचार करने के लिए ओर पारित के लिए पे ा किया है। इसमे ंजो स्वागत योग्य बात है, वह धारा 13 बी का जोड़ना है। इसके अनुसार हरियाणा में औद्योगिक विका को प्रोत्साहन देने के लिए नए उद्योग हरियाणा में लगे और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नए उद्योग लगाने वाले जब उत्पादन भाुरू करें तो कुछसमय के लिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बिक्री कर से छूट दी जाए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वर्श इस धारा 13 बी जुड जाने के बाद हरियाणा में औद्योगिक विकास तेज होगा और उसे बल मिलगा। अध्यक्ष महोदय, मै उल्लेख करना चाहूंगा कि जिसजिले से मै आता हूं वह बहुत ही पिछड़ा और उपेक्षित जिला है। जिला महेन्द्रगढ़ में, इस सरकार से पहले जो कांग्रेसी सरकार थी, उसने औद्योगिक विकास के नाम पर बहुत कुछ करने का भाोर मचाया। धारूहेड़ा मतें इंडस्ट्रियल कॉम्पलैक्स बनाय ागया औरकहा गया कि यहां जो उद्योग लगेगे उन्हें 15 परसैन्ट सबसिडी देगे। इस पिछड़े हुए क्षेत्र मे ंऔद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे कि इस पिछडत्रे हुए क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगे। लेकिन वहां क्या हुआ? धारूहेड़ा मे ंसहगल पेपर मिल के नाम से एक उद्योग लगा। तापसे के लड़के का रूकमणी के नाम से गैस के सिलैन्डश्र का एक कारखाना लगा और इसी तरह से बहुत से कारखाने लगे। अध्यक्ष

महोदय, उस समय हरियाणा सरकार मे ंजो कर्णधार बैठै थे, उनकी मिली भगत से जमीन ऐक्वायरकी गई। दो सौ रूपए गज की जमीन को 10–20 रूपए वर्ग गज के हिसाब से कारखानेदारों को थमा दिया गया। सबसिडी के नाम से ये लोग 15–15 लाख रूपया डकार गए। औद्योगिक विकास के नाम पर बड़ी लूट मचाई गई। अगर सरकार भुरू हो जाएगा तो कर से छूट देंगे तो ये कारखाने सबसिडी का लाखो रूपया नही डकार पते। आज धारूहेड़ा जो दिल्ली से ज्यादा पास है और ने ानल हाई वे नम्बर 8 पर है। मृतप्रायः पड़ा है, कुछ उद्योगों को छोड़करा। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का नया प्रस्ताव औद्योगिक विकास की गतिविधियों को तेज करने और उद्योगों के नाम पर सबसिडी लूटे जाने की प्रवृत्ति को दूर करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का लचीला रूख रहा हैं जब लकड़ियों के व्यापारियों को सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स से परे ाानी हुई तो सरकार न उनके प्रतिनिधियों से मिल कर टैक्स वापिस ले लिये। अब कम्बलो ंपर टैक्स के बारें में व्यापारियों को ज्यादा दिक्कत आ रही थी। व्यापरियों ने सरकार से गुहार की। सरकार ने लचीला रूख अपनाया और उनकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास किया। अब सरकार ने एक लाख तक की कम्बलों की बिक्री को कर मुक्त कर दिया है। अभी डा0 साहब ने कहा कि जो लोग अपना हिसाब किताब नही रखते थे, बुक्स प्रौपर नही रखते,उनके लिए फिलहाल कोई प्रावधान नही था इसलिए पैनल्टी लगाने का परन्तुम जोड़ा गया हैं अध्यक्ष महोदय, मै फिर दोहराना चाहता हूं कि व्यापारी

जुर्माना से ज्यादा जेल की सजा से डरता है, वह कैद से डरत है। इसलिए जो व्यापारी अनियमितताएं करते है, जेा व्यापारी कर की चोरी करते है उनकी जुर्माने की बजाए जेल में भेजने की व्यवस्था की जाए। इंस्पैक्टरी राज से जनता को, व्यापारियों को मुक्त करवाने का हामरी पार्टी ने सत्ता मे ंआने से पहले वायदा किया था और इस बारें में कुछ कदम भी उठाए गये है ंलकिन अभी काफी कमियां है, काफी ऐसे बहाने है जिनकी वजह से इंस्पैक्टर्ज व्यापारियों की दुकानों, प्रतिश्ठानों पर जाएंगा तो फिर वे अपनी फीस वसूल भी अ वय करते रहेंगे। अभी यहां पर कहा गया कि जहा जहा हमने टैक्स की फीस कम की है, वहां आमदनी ज्यादा हुइ है। अध्यक्ष महोदय, मै दावे के साथ कह कसता हूं कि जब व्यापारी अपनी सेल्ज टैक्स की तारीख भुगतने आते है तो इंस्पैक्टर उसकी बही का नही बल्कि उसकी जेब को देखते है 500, 1000 रूपया लेकर दस्ताखत कर देत हैं वरना तारीख लगाकर व्यापारी को तंग करते रहते है। इस कुप्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मै दावे के साथ कह सकता हू कि जितना कर इस समय लगा हुआ है अगर उस कर को ही पूरी तरह से वसूल कर लिया जाए तो उससे हमारे प्रदे ा के राजस्व और खजाने में बढ़ौतरी हो सकती हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे राव साहब बड़े काबिल और ईमानदार मंत्री है। मै उनसे इसबात की आ ाा करता हूं कि अधिकारी वर्ग मे ंजो भ्रश्टाचार है, वे उससे

लड़ने मे ंपहल करेगे ओर यह जो व्यापरियों से 500, 1000 रूपये लेकर भुगतान की जो प्रणाली चली आ रही ळै, उसको समाप्त करेगे।

श्री अध्यक्षः यादव साहब, अब आप बैठिये।

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मै बहुत जल्दी ही खत्म करूंगा। केवल दो मिनट मुझे और समय दे दीजियेगा, मै जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं। कि जब हम अपने टैक्स का ढांचा तय करें तो कम से कम पड़ोसी राज्यों, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदे ा वगैरह की तरफ भी ध्यान दे कि वहां पर टैक्स की क्या स्थिति है। वहां पर कर को क्या ढांचा है? अगर वहां पर टैक्स कम हो ओर हमारे ज्यादा हो तो क्या होगा? एक किस्म से स्मलिंग सी भुरू हो जाएगी। लोग दिल्ली वगैरह से कम करे का फायदा उठा कर के वही से सस्ती वस्तुए खरीद करके हरियाणा मे ंप्रवे ा करेगे। अगर राजस्थान मे ंटैक्स कम है, तो वहां से खरीदर कर हरियाणा मै प्रवे ा करेगे।

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर मंगल सैन ने जो बोलते हुए रोहतक की एक इंडस्ट्री जोकि अन्डरवीयर ओर बनियाने बनाती हैं है, का जिकर किया कि उसको प्रोत्साहन देने के लिये, ज्यादा से ज्यादा बिक्री को हरियाणा में प्रोत्साहित करने के लिये, हरियाणा सरकार के खजाने की बढ़ाने के लिये हमारी सरकार को इस तरफ

पूरा ध्यान देना चाहिए कि जो अैक्स हम लगा रहे है वह पडौसी राजयों, दिल्ली, राजस्थान व हिमाचल से कम होना चहिये। तभी हमारी बिक्री ज्यादा होगी, लेाग हरियणासे ही चीजे खरीदे देगा और उसका राजस्व हमारे हरियाणा को ही आएगा। इन बातों की ओर सरकार अव य ध्यान दे। अन्त में इस सं ाोधन विधेयक का मै समर्थन करत हू और आपका धन्यवाद करता हुआ आपके आदे ाानुसार अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द्र भार्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय आज राव राम नारायण जी ने हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय सं ाोधन) विधेयक 1988 यहां पर प्रस्तुम किया है। मै उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं आपके माध्यम से मै राव साहब से कहूंगा कि जब हम न्याय युद्ध लड़ रहे थे तब हरियाणा के सभी वर्गो के लोगों ने उस न्याय युद्ध में भाग लिया था। उन्ही के कारण से आज हम यहां पर विराजमान है। हरियाणा के सभी वर्गो ने न्याय युद्ध के समय बड़ा सहयोग दिया था। इसमें कोई दो राय नही हैं मेरे प्रदे ा के व्यापारी वर्ग ने भी, जब जब न्याय युद्ध भाुरू हुआ या न्याय युद्ध की ओर से जब भी काल की गई, चहे वह बन्द की काल थी, चहो जन संग्रह की काल थी, चाहे कोई सम्मलेन करने की बात थी, या किसी नेता के सम्मान की बात थी, उसमें बढ़ चढ कर भाग लिया था ओर इस सरकार को बनाने मे ंउन का बहुत भारी हाथ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी लोकप्रिय सरकार आने के आद हरियाणा वर्ग, हरियाणा का किसान वर्ग बहुत खु ा है। क्योंकि उनको इस सरकार से पूरी आ ाा है। कि यह सरकार उन्ही के हितों के अनुरूप काम कर रही है लेकिन थोडी सी गलती या गल्त अन्दाज के कारण, गल्तफाहमी के कारण यदि हरियाणा का बहुत बड़ा वर्ग हमारे से नाराज होता है या वह ऐसा महसूस करकता है कि यह सरकार हमसे न्याय नही कर रही है तो ठीक नही होगा। मै समझता हूं कि जरूर कही न कही टैकल करने में गल्ती है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर 38 नम्बर का फार्म का जिक्र किया गया। उसको ध्यान से समझने की आव यकता है। मै मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आज के युग में संचार व्यवस्था बहुत तेज हो गी हैं पहले नारनौल का व्यापारी कलकता टेलीफोन पर बात करता था कि मुझे दो ट्रक माल भेज देना तो उसकी माल जल्दी मिल जाता था और अब गर उस पर 38 नम्बर फार्म की भार्त लगा दी जाएगी कि वह 38 नम्बर फार्म को साथ लेकर आए तो पहल वह नारनौल का व्यापारी कलकता जाएगा, वह फार्म भर कर देगा तब कही जा कर उसको माल मिलेगा। इस तरह से माल आने–जाने में तीन–चार दिन लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया बड़ी लम्बी है क्योंकि व्यापरियों का व्यापार टेलीफोन, टैलीग्राम तथा और माध्यमों से हात हैं कुछ दलाल होते है जो व्यापारी से आर्डर लेकर जाते है। कलकता और बम्बई से जो

दलाल आते है, वे व्यापारियों की डिमांड पूछते है कि आपकों कया क्या समान चाहिए? वे उनका आर्डर लेकर आगे देत है और फिर व्यापारी को सामान सप्लाई होता हैं अब इस फार्म को इन्ट्रोड्यूस करने से व्यापारी को बड़ी दिक्कत हो गइ हैं मै चाहूंगा कि इस परगम्भीरता से विचार किया जाए और इस फार्म को वापिस लिया जाए। अध्यक्ष महोदय जहां तक कम्बलों पर टैक्स लगाने का सवाल है, आज पानीपत के अन्दर कम्बल बानान की बड़ी भारी फैक्ट्रियां लगी हुई है। छोटे छौटे मजदूरों ने हैड लूमज लगा रखी है। आज पंजाब में आतंकवाद के कारण वहां के व्यापारी पानीपत में सैटल हो रहे है। यह बात ठीक है कि एक लाख रूपए की सेल की छूट दे रखी है लेकिन कपड़ा व्यापारी के पास कई आईटम्ज होती है, वह कैसे हिसाब रोगा कि एक लाख रूपए के कम्बल बिक चूके है? इससे तो केवल इन्स्पैक्टर को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि तुमने अकाउंट ठीक नही रखा। इस बहाने से केवल इन्स्पैक्टर की ही इंकम बढ़ेगी, सरार को वि ो ा लाभ होने वाला नही है क्योंकि कपड़े की कुल बिक्री में कम्बल की बिक्री का केवल 5 प्रति ात हिस्सा होगा। इसलिए मै राव साहब से प्रार्थना करूंगा कि व्यापारियों की भावनाओं की ध्यान में रखते हुए कम्बल परटैक्स न लगाया जाए। कम्बल के यार्न पर पहले से ही टैक्स लगा हुआ है, उसे आप बे ाक 2 प्रति ात से बढ़ाकर 4 प्रति ात कर सकते है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि टैक्स बढ़ाना है तो यार्न पर बढ़ा सकत हैं परन्तु कम्बल पर से टैक्स वापिस ले लिया

जाए। इतनी प्रार्थना करते हुए मै आपका धन्यवाद करते हुए आपना स्थान लेता हूं।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राव साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, इसके अन्दर हम थोड़ा सा सं ाोधन कराना चाहत है। इसमें कोई भाक नी है कि चौधरी देवी लाल जी के राज में व्यापारियों को बहुत सहूलियतें मिल हजै ंपरन्तु इस सं ाोधन से थोड़ा सा जो क ट हुआ है, वह मै आपके सामने रख रहा हूं। फार्म 38 के बारें में सारे हरियाणा के व्यापारी परे ाान है। कोई व्यापारी अगर बम्बई या कलकत्ता से फोन द्वारा या टैलीग्राम द्वारा माल मंगवाना चाहेगा तो जब तक वह फार्म नं0 38 नही भेजेगा, तब तक वह माल नही मंगवा सकेगा। फार्म भेजने मे ंएक हफ्ता लग सकता है। और इस दौरान वह माल खत्म हो सकता हैं आज के युग के अन्दर एक हफ्ता काफी कम होता हैं इसलिए राव साहब से प्रार्थना है कि फार्म नं0 38 को वापिस लिया जाए। इसके साथ साथ जहां तक कम्पलों पर अैक्स लगाने का ताल्लुक है, कम्बल में ऐ नही अनेक चीजे आती है, इस बारें में किसी भी साथी ने नही बताया। जैसे भााल, दो ाला, चिकन और एम्ब्रायडरी की हुई साड़ी इसमें भामिल हैं इसलिए मै सरकार से प्रार्थना करूंगा पानीपत के अन्दर छोटी छोटी खड्डियों पर धागे का काम करने वाले लोग हैं पिछले संवा या डेढ़ साल के अन्दर यह काम बहुत चमका हैं मै इसका सारा श्रेय चोधरी साहब को दूंगा ओर श्री वीरेन्द्र सिंह जाी का दूंगा जिन्होने बिजली देकर

इतना कार्य बढ़ाया है। यह जो कम्बलों की इंडस्टरी है, यह एक दो साल से ही बढ़ी है क्योंकि आतंकवाद के डर से व्यापारी अमृतसर से उजड़ कर पानीपत में आकर सैटल हुए हैं इदन लोागें की वजह से यह व्यापार चमका हैं इसलिए मै प्रार्थना करूंगा कि छोटा व्यापारी जो खड्डी पर काम करता है उस पर टैक्स न लगाया जाए। धागे पर बे ाक 2 प्रति ात की बजाए 3 प्रति ात टैक्स कर दिया जाए। इसके साथ ही जो मिल घागा बनती है और धागे से कम्बल तैयार करती है उस मिल के अन्दर ही कम्बल पर टैक्स वसूल कर लिया जाए लेकिन व्यापारी से कम्बल पर कोई अैक्स वसूल नही किया जाए। हरियाणा के टन्दर कम से कम 40 परसैंट व्यापारी कपड़े का व्यापर करते है। भााल एक ऐसी चीज है जो 15 रूपए से लेकर 500 रूपए तक की मिलती हैं जहां पर एक लाख रूपए तक की कम्बल की बिक्री परसेल्ज टैकस की छूट दी जानी वहिए। मेरी सरकारसे प्रार्थना है कि बाकी चीजों की भी एक लाख रूपए तक की बिक्री पर सेल्ज टैक्सकी छूअ दी जाए। मै तो यही कहना चाहूंगा कि जा मिल धागार बनाती है औरधागे से कम्बल तैयार करती है उस मिल के अन्दर ही यदि उसपर टैकस वसूल कर लिया जाए तो व्यापारी इस परे ाानी से बच जाएंगे। इसके साथ ही मै यह कहनाचाहूंगा कि जा कच्छे और बनियान है ये गरीब आदमी दो तीन रूपऐ से लेकर 5–6 रूपए तक खरीदते है जिनकों गरीब मजदूरी पहनते हैं तो इन चीजों पर चार परसैंट सेल्ज टैक्स होना चाहिए। यह टैक्स हरियाणा प्रदे ा के साि लगते हुए दूसरे प्रदे ाों मे ंएक परसैट या दो परसैट ही है।

किसी भी प्रदे ा में चार परसैट सेल्ज टैकस नही ह। इसलिए मै सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पर सेल्ज टैक्स खत्म किय जाए यदि खत्म न किया जा सकते तो एक या दो परसैट कर दिया जाए क्योंकि उन चीजों को गरीब तबके के लोग इस्तेमाल करते है। इसके साथ ही मै हौजरी के सामान के बारें में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। हरियाणा में जो हौजरी का माल आता है, उस माल को खास करके डेली पैसेंजर लोग लाते हैं। 125 रूपए, 150 रूप्ए और 200 रूपए तक की एक जर्सी आती हैं। हौजरी का जितना माल आता है वह या तो कारों से आता या उसको डेली पैसेंजर लेाग ले कर आते है और यहां ला करसेल करते हैं यदि उस परचार परसैट सेल्ज टैक्स लगा दिय जाए तो उसको व्यापारी लोग अपने बही खाते में इन्दराज करेगे और उनको उसके बारे में किसी किस्म का कहने का कोई मौका नही मिलेगा। हौजरी का माल या तो कारों मं लाया जाता है या डेली पैसेंजर लोग ले कर आते है, उसकी सरकार चुगी भी नही मिलती है और न ही सेल्ज टैक्स मिलताहैं इन भाब्दों के साथ मै आपका धन्यवाद करते हुए आपना स्थान लेता हूं।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री राव राम नाराण जी ने जो सं ाोधन विधेयक रखा है इसके बारें में मै अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले जो फार्म नम्बर 38 है, इस बारें में मै कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः भाटिया साहब, फार्म नम्बर 38 के बारें में बहुत चर्चा हो चुकी है। यदि इस बारें में आपके पास कोई नई बात कहने के लिए है तो बताएं।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः स्पीकर साहब, मैने एक बहजुत ही जरूरी कहनी है। मै यह कहना चाहूंगा कि यदि किसी व्यापारी को एक लाख रूपए का माल चाहिए और वह माल मंगाता है तो जब तक फार्म नं0 38 नही जता तो उस व्यापारी का माल नही ाता। इसक अलावा, मै एक बात यह भी कहनाचाहूंगा कि यदि कोई व्यापारी एक लाख रूपए का माल मंगाता है, वह माल खराब आ जाता हैं और उस मा लको वह व्यापारी वापिस भेजना चाहता है लेकिन जब तक उस व्यापारी के पास फार्म नं 38 नही आ जाता है तब तक वह उस माल को वापिस नही भेज सकता। वह माल बीच में ही पड़ा–पड़ा खराब होता रहता हैं इसके अलावा एक बात यह भी है कि माल चालान पर जाता है तो वह माल तीन तीन महीने तक पास नही होंता है। अगर व्यापरी 6वे महीने का बिल काट देता है, और वह माल अगर 7वे या 8वे महीने तक पड़ा रहता है और यदि उसका फार्म वैलिड होता है तो टैक्स नही लगेगा वरना उस पर टैक्स लगेगा। यदि वह माल रिजैक्ट हा`जात है तो व्यापारी उस माल को किस खाते में डाले? इसलिए मै यह कहूगा कि एक तो माल चालान पर नही जाना चाहिए और दूसरे इन फार्म नम्बर 38 को खत्म किया जाना चाहिए।

श्री भगवान सहाय रावत (पलवल): आदरणी अध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय सं ाोधन) विधेयक, 1988 पर चर्चा चल रही हैं मै भी इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसको बड़ी गहराई से देखने पर पता चलता है कि हमारी सरकार की और चौधरी देवी लाल जी की यह नीति है कि सभी वर्गो को साथ लेकर चला जाये, चाहे कोई मजदूर हो,चाहे कोई व्यापरी हो या चाहे कोई किसान हो इससे हमारी सरकार की नीति प्रतिलक्षित होती है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार यहां पर रखे और उन्होने अपनी समझ के अनुसार यहां परकुछ सुझाव भी दिए है और साथ ही इस बिल को प्र ांसनीय बताया है। हमारी सरकार ने इस वित्त की धारा 6 में सं ाोधन करना, एक नई धारा 13 बी जोड़ना, धरा 14 ाक सं ाोधन करना और धारा 36 की उपधारा (2) में परन्तुक जोड़ना, बड़ी गहराई से सोच विचार के बाद ऐसा किया गया हैं इसके लिए सरकारप्र ांसा की पात्र है। धारा 6 में जो सं ाोधन किया गया उसके अनुसार जनवरी 1988 से पहले कम्बल कर मुक्त होते थे लेकिन बाद में इन पर टैकस लगा दिया गया। जब व्यापारी लोगों के प्रतिनिधि मण्डल यानी कम्बल बनाने वाले चौधरी देवी लाल जी से मिले तेा उनहोने अपनी उदार नीति के तहर इसमें सं ाोधन कर दिया और अब एक लाख रूपये की बिक्री तक कम्बलों को टैक्स से छूअ दे दी गई हैं यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि एक लाख से अधिक की बिक्री होने पर ही कम्बल पर टैक्स लगेगा। मेरे से पूर्व वक्ता श्री

रघु यादव जी ने इस बिल में धारा 13 बी को जोड़ना प्र ांसनीय कदम बताया है। चूंकि राज्य की हाल की घोशित उद्योग नीति के तहत जिन नए उद्योगों में जो माल 1 अप्रैल, 1988 के बाद बनेगा उसे कुछसमय के लिए कर मुक्त रख गया हैं इसके लिए सरकार बधाई की पात्र हैं हमारी सरकार की नए उद्योगों को बढ़ावा देने की एक नीति हैं जहां तक धारा 14 सवाल है इसमें कानूनी पेचीदगी को दूर करने का प्रावधान किय गया हैं इसे अलावा धारा 36 की उपधारा (2) में जो परन्तुम जोड़ा है जो एक अच्दी बात है। इसके जोड़े जाने से जो व्यापरी बेचे जाने वाले सामान की करन्ट बुक्स रही रखेगे उन पर 2 हजार से 5 हजार रूपये तक जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। इस अमैडमेंट से दो नम्बर का धन्धा करने वालों को सजा मिल सकेगी इसके सथ ही साथ मै। एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि फार्म 38 के बारें में भी दुबारा से विचार किया जाये ताकि व्यापारी और सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत न आये। इन बातों के सथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (राव राम नारायण):अध्यक्ष महोदय, जब से चौधरी देवी लाल जी ने राज सम्भाला है तब से लेकर अब तक इस सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया है। हमारी सरकार ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोशित की हैं उद्योग नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से एक टैक्से ान ऐडवाईजरी कमेटी बनाई

हुई हैं इस टैक्से ान ऐडवाइजरी कमेटी ने जो रिकमैन्डे ान की है। उन्ही को इम्पीलमेंट करने के लिए यह विधेयक हाउस के सामने लाया है। इस विधेयक पर मैम्बरों ने बोलते हुए फार्म 38 के बारें में काफी कुछ कहा हैं मै बताना चाहूंगा कि यह फार्म अकेल हमारे हरियाणा में ही लागू नही है बल्कि हारे साथ लगते उत्तर प्रदे ा में भी यह फार्म लागू है ंहरियाणा में यह फार्म कोई नया लागू नही किया गया है बल्कि पहले भी यह 38 नं फार्म लागू थ। पहले कंसाईनी और कन्साईनर के हस्ताक्ष होने जरूरी नही होते थे। इस फार्म के लागू करने से कंसाईनी या कन्साईनर में से एक के हस्ताक्षर होना लाजमी होगा। जो लोग टैकस की चोरी करते थे उन्हे जब विभाग वाले पकड़ते थे तो बच निकलते थे। यहां तक कि जब हम ट्रिब्यूनल के सामने जाते थे तो भी उस समय हमारा केस किसी के साईन नह होने की वजह से फेल हो जाता था। इसलि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फार्म 38 कायम रहेगा। कम्बलों के बारं में भी यहां पर जिक्र आया है ंजो लोग आगे टैक्सटाईल में डील करते थे वे लोग कम्बल भी रखते थे। इन पर टैक्स लगा दिया गया था। अब इस अमैडमैंट के जरिए उनको यह छूट दी जा रही है कि अगर कम्बलों की सेल एक साल में एक लाख के ऊपर होती है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा और एक लाख से कम सेल होती है तोउनको टैक्स नही देना पड़ेगा। इसलिए मै आनी बात समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं। कि इस विधेयक को पास कर दिया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 4

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 5

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 6

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 7

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 8

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Dr. Deputy speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Excise and Taxation Minister (Rao RAm Narain): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaerker: Question is—

That the Bill be passed

The motion was carried

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रात 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

12.52 बजे

(तत्प चात् सदन दिनांक 25.08.1988 को प्रातः 9.30 बज तक के लिए स्थागित हुआ)